

छत्तीसगढ़ विधान सभा
(पंचम)



खण्ड - 7

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक 26 जुलाई, 2021 को सदन में प्रस्तुत)

(एक)

(प्रस्तावना)

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अध्याय-7 “प्रश्न” में नियम क्रमांक 28 से नियम क्रमांक 50 तक सभा में माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, ग्राह्यता की शर्तें और सभा में प्रश्नकाल की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान उल्लेखित किए गये हैं।

प्रश्नकाल सभा का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह भी स्थापित हो चुका है कि प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाता। इसके साथ ही जब एक बार प्रश्न अध्यक्ष के द्वारा ग्राह्य कर लिया जाता है, तब शासन के लिए उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बंधनकारी होता है। अपवादस्वरूप कभी-कभी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि शासन के लिए यह संभव न हो कि वह निर्धारित अवधि में प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराए। ऐसी परिस्थिति में भी शासन के संबंधित विभाग को यह तो सूचित करना ही पड़ता है कि—“जानकारी एकत्रित की जा रही है”।

इस संकलन में फरवरी-मार्च, 2021 सत्र की सम्पन्न बैठकें तथा स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तर, पृथक वितरित तथा पुनरीक्षित उत्तर तथा फरवरी-मार्च, 2021 सत्र का समयपूर्व सत्रावसान हो जाने के कारण स्थगित बैठकों-दिनांक 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 एवं 26 मार्च, 2021 के अपूर्ण प्रश्नों के पूर्ण उत्तर के संकलन को मुद्रित कराया गया है।


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित दिनांक 24 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2769) का पूर्ण उत्तर दिनांक 22 मार्च, 2021 तक अप्राप्त होने के फलस्वरूप इस संकलन में उसका समावेश मुद्रित नहीं किया गया है।

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्ठक [.....], के अंदर मुद्रित है। इस संकलन में विधि एवं विधायी कार्य, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाणिज्य एवं उद्योग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खेल एवं युवा कल्याण, गृह विभाग के प्रश्न सम्मिलित किये गये हैं।

रायपुर,

दिनांक : 22 जुलाई, 2021


चन्द्र शेखर गंगराडे
प्रमुख सचिव.



(दो)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	फरवरी-मार्च, 2021 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	1 से 7
2.	फरवरी-मार्च, 2021 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	8 से 35
3.	फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची.	36 से 71



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में निजी वकीलों की सेवाएं का भुगतान

01. (क्र. 463) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासकीय वकीलों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों में निजी वकीलों की सेवाएं ली जाती हैं ? यदि हां तो 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 29 जनवरी, 2021 तक हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में पैरवी हेतु किन-किन निजी वकीलों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस-किस प्रकरण में किया गया ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : [जानकारी एकत्रित की जा रही है.] जी हां, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

गौठान के विकास और रखरखाव हेतु राशि का प्रबंध एवं व्यय

02. (*क्र. 547) श्री अजय चन्द्राकर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने गौठान के विकास और रख-रखाव के लिए, राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु देशी और विदेशी मदिरा (स्प्रिट) बिक्री कर पूर्ति करने के संबंध में अधिसूचना कब एवं कितने रुपये की दर से जारी की है? (ख) उक्त मद से 31 जनवरी, 2021 तक कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) उक्त प्राप्त राशि से कितनी राशि गौ-धन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में व्यय की गयी? जिलेवार अलग-अलग बतावें? (घ) उक्त मद से कितनी राशि गौठान के विकास और रखरखाव हेतु व्यय की गयी? जिलेवार बताने का कष्ट करें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जी हां. राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2020/वा.क.(आब.)/पांच(17) दिनांक 16-03-2020 द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गौठान के विकास तथा रखरखाव के लिए राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु देशी और विदेशी मदिरा (स्प्रिट) (न्यूनतम ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग (बोतल, अड्डा एवं पाव) रुपये 5/- की दर से "अतिरिक्त आबकारी शुल्क" अधिरोपित किया गया है. (ख) उक्त मद से 31 जनवरी, 2021 तक कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को गोबर खरीदी की राशि के भुगतान हेतु राशि रु. 350.00 लाख प्राप्त हुई है. (ग) उक्त प्राप्त राशि से राशि रु. 331.357 लाख गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में व्यय हेतु जिलों को प्रदाय की गई. जिलावार विवरण † संलग्न परिशिष्ट में है. (घ) प्रश्नांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

[पृथक वितरित उत्तर]

सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के तहत केमिकल खरीदी

03. (क्र. 771) डॉ. विनय जायसवाल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सॉयल हेल्थ कार्ड योजना में केमिकल खरीदी हेतु जिलों को कितनी राशि के वित्तीय अधिकार हैं? (ख) बेमेतरा एवं बिलासपुर जिले वर्ष 2015-16 से 2018-19 में कौन-कौन से केमिकल किन-किन दरों पर किन-किन फर्म से क्रय किये गये हैं? केमिकल खरीदी हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? (ग) क्या क्रय प्रक्रिया में भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) स्वायल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में प्रति मृदा नमूना रु. 190 तथा वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में प्रति मृदा नमूना रु. 300 व्यय का प्रावधान था, जिसमें मृदा नमूना संग्रहण, विश्लेषण एवं स्वायल हेल्थ कार्ड मुद्रण एवं वितरण किया जाना था. विश्लेषण हेतु रसायन की खरीदी हेतु जिलों को उक्त प्रावधानानुसार अधिकार थे. व्यय प्रावधान का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ पर है. (ख) जिला बेमेतरा एवं बिलासपुर द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में क्रय केमिकल, दर, फर्म व क्रय प्रक्रिया की वर्षवार जानकारी का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं स पर है. (ग) क्रय प्रक्रिया में भण्डार क्रय नियमों के पालन के संबंध में विवेचना की जा रही है.

[पृथक वितरित उत्तर]

प्रदेश में अमानक खाद्य बीज एवं कीटनाशक दवाईयों के गुणवत्ता की जांच

04. (क्र. 928) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2020 में रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाईयों एवं बीजों की गुणवत्ता की जांच हेतु कितनी-कितनी संख्या में सैंपल लिये गये ? कृपया जिलेवार अलग-अलग जानकारी देवें ? (ख) सेम्पल की जांच उपरांत अमानक खाद कीटनाशक दवाईयों एवं बीज विक्री के कितने प्रकरण बनाए गए ? कृपया जिलेवार विक्रेताओं के नामों सहित की गई कार्यवाही की जानकारी देवें.

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : [(क) से (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) प्रदेश में वर्ष 2020 में रासायनिक खाद के 3419, कीटनाशक दवाईयों के 712 एवं बीजों के 3763 सैंपल गुणवत्ता की जांच हेतु लिये गये हैं. जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ पर है. (ख) सेम्पल की जांच उपरांत अमानक खाद के 68, कीटनाशक दवाईयों के 19 एवं बीज के 153 प्रकरण बनाए गए. जिलेवार विक्रेताओं के नामों सहित की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब, स, एवं द पर है.

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में अधिक जल भराव से फसल क्षति का मुआवजा

05. (*क्र. 942) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जेवरी तह. बेमेतरा के करूवानाला चेकडेम में भारी जल भराव के कारण किसानों की फसल बर्बादी की शिकायत प्राप्त हुई है? (ख) यदि हां, तो किसानों को कितना मुआवजा दिया गया ? (ग) यदि नहीं, तो किसानों को मुआवजा कब तक प्रदान किया जावेगा? (घ) करूवानाला चेकडेम में भारी जलभराव से फसल नुकसान न हो इसके लिए कोई योजना तैयार की गई हो, तो जानकारी देवें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) हां, बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जेवरी, तहसील बेमेतरा के करूवानाला परियोजना में कृषि विभाग द्वारा निर्मित गलीचेक में जल भराव के कारण एक कृषक की फसल बर्बादी की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन के माध्यम से वर्ष 2019 में प्राप्त हुई थी. (ख) विभाग में मुआवजा का प्रावधान नहीं है. (ग) प्रश्नांश "ख" के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक. (घ) करूवानाला चेकडेम में भारी जल भराव से फसल नुकसान ना हो इसके लिए कार्ययोजना तैयार की गई है, विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है.

छ.ग. शासन की स्टार्टअप नीति

06. (क्र. 1024) श्री अजय चन्द्राकर : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ शासन की "स्टार्ट अप नीति" के लिये क्या नीति है और उसके लिये 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के बजट में कितनी राशि का प्रावधान है ? (ख) छत्तीसगढ़ "स्टार्ट अप" पंजीयन की क्या प्रक्रिया है ? दिनांक 20-02-2021 तक कितने "स्टार्ट अप" का पंजीयन हुआ है और कितने को कितना वित्त पोषण प्राप्त हुआ है ? उसमें से कितने "स्टार्ट अप" ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है ? (ग) छत्तीसगढ़ के कितने "स्टार्टअप" को केन्द्र शासन द्वारा पंजीकृत किया गया है और उनको कितनी वित्तीय सहायता केन्द्र शासन के द्वारा प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है] (क) छत्तीसगढ़ शासन की औद्योगिक नीति 2019-24 में स्टार्टअप इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप पैकेज का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य में स्थापित एवं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्टअप इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत अनुदान/छूट एवं रियायतें प्राप्त होगी. अधिसूचना को प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" पर दर्शित है.

स्टार्टअप छत्तीसगढ़ मद हेतु प्रावधानित राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान (राशि रु. लाख में)
1.	2018-19	700.00
2.	2019-20	500.00
3.	2020-21	500.00

(ख) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयों को राज्य में पंजीयन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के स्टार्टअप पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। दिनांक 20-02-2021 तक केन्द्र शासन द्वारा राज्य के 528 स्टार्टअप इकाईयों को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें से 114 स्टार्टअप का राज्य में पंजीयन हुआ है, जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” में दर्शित है। राज्य के 03 स्टार्टअप इकाईयों को राशि रु. 12.30 लाख का वित्त पोषित किया गया है, जिसकी सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“स” में दर्शित है। राज्य के 29 स्टार्टअप इकाईयों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। (ग) केन्द्र शासन द्वारा राज्य के 528 स्टार्टअप इकाईयों को मान्यता प्रदान की गई है, जिसकी सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“द” में दर्शित है तथा 02 स्टार्टअप इकाईयों को केन्द्र शासन द्वारा राशि रु. 15.00 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिसकी सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“इ” में दर्शित है।

दुर्ग संभाग अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में उच्च पद पर कनिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना

07. (क्र. 1581) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वरिष्ठ अधिकारी के रहते हुए कनिष्ठ अधिकारी को उच्च पद पर “प्रभारी अधिकारी” पदस्थ न किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से निर्देश जारी किये गये हैं ? (ख) यदि हाँ तो 30 जनवरी 2021 की स्थिति में दुर्ग संभाग अंतर्गत जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उच्च पद पर वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी (के रहते हुए भी) के स्थान पर कौन-कौन कनिष्ठ अधिकारी को प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है व क्यों ? जिलेवार पदक्रम की जानकारी दें ? (ग) उपरोक्त संभाग अंतर्गत कितने वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार देने के कारण निम्न पद पर कार्यरत है। संभाग के जिलों में पदस्थ डॉक्टरों की योग्यता का उल्लेख करते हुए जिलेवार सूची प्रदान करें ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जी हां. (ख) दिनांक 30 जनवरी 2021 की स्थिति में दुर्ग संभाग के राजनांदगांव जिले में वरिष्ठ अधिकारी के रहते हुए केवल एक कनिष्ठ अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी को प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर प्रशासनिक दक्षता के आधार पर पदस्थ किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की पदकर सूची जिलेवार नहीं रखी जाती है. (ग) दुर्ग संभाग के राजनांदगांव जिले में एक कनिष्ठ अधिकारी को उच्च पद का प्रभार देने के फलस्वरूप उनसे वरिष्ठ 5 अधिकारी अपने वर्तमान पद पर कार्यरत हैं. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

रायगढ़ जिले में सेनेटाईजर एवं पीपीई कीट की खरीदी

08. (क्र. 1940) श्री प्रकाश शंकराजीत नायक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिले में वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा सेनेटाईजर एवं पीपीई कीट की खरीदी हेतु कितनी निविदा जारी की गई ? निविदा में एल 1, एल 2 एवं एल 3 में आने वाले एजेंसियों/फर्म की सूची के साथ कार्यादेश की जानकारी उपलब्ध करावें ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : [जानकारी एकत्रित की जा रही है.] रायगढ़ जिले में वर्ष 2020-21 में सेनेटाईजर एवं पीपीई कीट की खरीदी हेतु 1-1 खुली निविदा आमंत्रित की गई. एल-1, एल-2, एल-3 में आने वाली एजेंसियों/फर्म की सूची एवं कार्यादेश की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

कोविड-19 सेंटरों में स्वसहायता समूह द्वारा चाय नास्ता भोजना व्यवस्था में व्यय की गई राशि भुगतान बाबत

09. (क्र. 2118) श्री ननकी राम कंवर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में कोविड-19 सेंटरों में कोविड मरीजों के लिए कहां-कहां और कब-कब कोविड 19 सेंटरों में भोजन, चाय एवं नास्ता की व्यवस्था की गई ? किन-किन समूहों को कार्य दिया गया था ? (ख) क्या उक्त व्यवस्था में की गई खर्च की राशि का भुगतान प्रशासन द्वारा कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब यदि नहीं तो कब तक किया जाएगा ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : [(क) से (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जी हां. इस विभाग से संबंधित संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है.

जी.एम.आर. पावर प्लांट/अडानी पावर प्लांट द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

10. (क्र. 2266) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रेलवे कॉरिडोर तिल्दा से जी.एम.आर. पावर प्लांट/अडानी पावर प्लांट तक कितनी-कितनी शासकीय एवं निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? ग्रामवार, खसरा रकबा सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई उन्हें पुर्नवास नियम के तहत क्या-क्या लाभ दिया गया ? कितने प्रभावितों को नौकरी प्रदान की गई ? (ग) क्या उक्त रेल लाईन का उपयोग अन्य उद्योगों के द्वारा भी किया जावेगा ? यदि हां, तो किन-किन उद्योगों द्वारा नाम सहित जानकारी प्रदान करें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई उन्हें पुनर्वास नियम के तहत रेखीय परियोजना होने के कारण आपसी सहमति से नौकरी तथा अन्य लाभों के बदले अधिक आर्थिक क्षतिपूर्ति/मुआवजा का लाभ प्रदान किया गया है. (ग) उक्त रेल लाईन का मात्र मेसर्स जी.एम.आर. छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमि. द्वारा उपयोग किया जावेगा. अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक मान्य की जावे.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत पद

11. (क्र. 2278) श्री अरूण बोरा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने पद नियमित भर्ती एवं कितने संविदा भर्ती के लिए हैं ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) 31 जनवरी, 2021 तक कुल कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जाएगी ? (ग) क्या संविदा सेवा के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) 15,473 पद स्वीकृत हैं. सभी पद संविदा भर्ती के पद हैं. जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि तक कुल 4,777 पद रिक्त निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) जी नहीं. संविदा नियुक्ति का नियमितीकरण करने का प्रावधान नहीं है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारी/कर्मचारियों का नियमितीकरण

12. (क्र. 2398) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कितने संविदा अधिकारी/कर्मचारी किन-किन संवर्ग के कार्यरत हैं ? इनको नियमित करने के लिए क्या कोई कमेटी गठित की गई ? यदि हां तो उसकी बैठक कब-कब हुई क्या निर्णय हुआ ? इनको कब तक नियमित किया जाएगा ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : [जानकारी एकत्रित की जा रही है.] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. इनको नियमित करने हेतु शासन स्तर पर कोई कमेटी गठित नहीं की गई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 10-11-2020, 24-12-2020 एवं 19-01-2021 को हुई है. संविदा नियुक्ति नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है.

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में संविदाकर्मियों को नियमित करने संबंधी

13. (क्र. 2415) श्री धरमलाल कौशिक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में संविदाकर्मियों कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कितने कर्मियों कार्यरत हैं ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार कर्मियों को नियमित करने सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक नियमित कर दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : [(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जी हां. प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 10,696 संविदा कर्मियों कार्यरत हैं. जिलेवार जानकारी ‡‡ संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) संविदा नियुक्ति का नियमितीकरण करने हेतु प्रावधान नहीं है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

राज्य में संचालित उद्योग से सेवानिवृत्ति की आयु

14. (क्र. 2456) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में संचालित उद्योगों हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ा कर 60 की गई है ? (ख) यदि हां तो क्या बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट समुह की संचालित तीनों फैक्ट्रियों में उक्त नियमों का पालन किया जा रहा है यदि तो क्या ? (ग) क्या प्रश्नांक "ख" के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जी हां, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2019/16 दिनांक 05-08-2019 द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 की धारा 21 की उपधारा (1) के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ा कर 60 वर्ष किया गया है. (ख) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित यूनिट ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, रावन द्वारा उक्त अधिसूचना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में वाद प्रस्तुत किया है, जिसका प्रकरण क्र. WPC/3773/2019 है व वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 14-11-2019 को अंतरिम आदेश पारित किया है जो निम्नानुसार है :- "Not to take coercive step by the authority" अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी द्वारा उक्त अधिसूचना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में वाद प्रस्तुत किया है, जिसका प्रकरण क्र. WPC/3554/2019 है व वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 17-10-2019 को अंतरिम आदेश पारित किया है जो निम्नानुसार है :- "Not to take coercive step by the authority" अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-बैकुंठ, तह.-तिल्दा, जिला-रायपुर द्वारा उक्त अधिसूचना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में वाद प्रस्तुत किया है, जिसका प्रकरण क्र. WPC/3754/2019 है व वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. (ग) प्रश्नांक "ख" के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार के माध्यम से 03 शिकायत श्री जगन्नाथ भौमिक, श्री राजदेव सिंह एवं श्री राजेश कुमार सिंह का पत्र प्राप्त हुआ है. शिकायतकर्ता 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुये है. उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलौदाबाजार-भाटापारा के पत्र दिनांक 26-11-2020 एवं दिनांक 30-01-2021 द्वारा संयंत्र को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था. जिसके संदर्भ में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा पत्र दिनांक 08-02-2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त अधिसूचना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में वाद प्रस्तुत है जिसका प्रकरण क्र. WPC/3773/19 है व वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है.

उद्यानिकी द्वारा खाद, बीज व दवाई का क्रय एवं वितरण

15. (क्र. 2637) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि विभाग द्वारा जुलाई, 2020 में खाद, बीज व दवाई वितरण की राशि सीधे किसान के खाते में दिये जाने के आदेश हैं ? (ख) इस वित्तीय वर्ष में उद्यानिकी विभाग द्वारा खाद, बीज व दवाई क्रय हेतु कब-कब किस संस्था को आदेश दिया गया है तथा इनके द्वारा कब सामग्री की आपूर्ति की गई है व इन्हें कितना भुगतान किया गया है व कितना भुगतान किया जाना शेष है ? (ग) क्रय आदेश/अनुबंध में निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर क्या कार्यवाही करने के नियम हैं व क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जी हां. (ख) इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में (दिनांक 28-02-21 तक) में उद्यानिकी विभाग द्वारा खाद, बीज व दवाई क्रय हेतु विभिन्न संस्थाओं को जारी/प्रदाय क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति, निजी संस्थाओं को भुगतान की गई राशि तथा भुगतान हेतु शेष राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ग) क्रय आदेश/अनुबंध में निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित प्रदायक के विरुद्ध सुरक्षा निधि राजसात करने/काली सूची में डालने/प्रदायगी आदेश निरस्त करने जैसी कार्यवाही करने के नियम हैं. प्रश्नाधीन अवधि में निर्धारित समयावधि में मांग के अनुसार सामग्री प्राप्त हुई है. अतः प्रदायक संस्थाओं पर कार्यवाही संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

सिमेंट संयंत्रों द्वारा प्रदत्त रोजगार एवं मुआवजा

16. (क्र. 2780) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर एवं बलौदाबाजार में कितने सिमेंट संयंत्र कार्यरत हैं उक्त संयंत्र द्वारा कितने किसानों की कितनी जमीन अधिग्रहित की गई है ? (ख) क्या उक्त किसानों को शासन द्वारा स्वीकृत दर अनुसार मुआवजा का भुगतान किया गया है एवं आश्रित परिजनों को संयंत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? (ग) शासन द्वारा स्वीकृत दर अनुसार मुआवजा का भुगतान एवं रोजगार उपलब्ध नहीं किये जाने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई/जा रही है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) रायपुर एवं बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कुल 07 सीमेंट संयंत्र कार्यरत हैं. उक्त 07 सीमेंट संयंत्रों में से केवल 03 सीमेंट संयंत्र हेतु कुल 407 किसानों की निजी भूमि कुल रकबा 280.464 हेक्टेयर अधिग्रहित की गई है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जी हां. (ग) शासन द्वारा स्वीकृत दर अनुसार मुआवजा का भुगतान एवं रोजगार उपलब्ध नहीं किये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

पंचायत विभाग में टिफिन क्रय

17. (क्र. 2825) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पंचायत विभाग में टिफिन का क्रय किया गया था ? यदि हां तो इस योजना के अंतर्गत कितने टिफिनों का क्रय किया गया है, इनमें से कितने टिफिनों का वितरण हितग्राहियों को किया गया है व कितने का वितरण नहीं किया जा सका है तथा वर्तमान में इसका भण्डारण कहाँ-कहाँ पर है ? जिलेवार, स्थानवार एवं संख्यावार जानकारी दें. टिफिनों का वितरण नहीं किये जाने पर दोषी कौन है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : [जानकारी एकत्रित की जा रही है.] जी हां. विभाग में 9,21,655 टिफिनों का क्रय किया गया था, इनमें से 7,38,951 टिफिनों का वितरण हितग्राहियों को किया गया है एवं 1,82,704 टिफिनों का वितरण नहीं किया जा सका है. वर्तमान में अवितरित टिफिनों का भंडारण की जिलेवार, स्थानवार एवं संख्यावार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. छत्तीसगढ़ विधानसभा आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शेष टिफिन का वितरण नहीं किया जा सका था, जिसके लिये किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई हेतु गठित समिति

18. (क्र. 2826) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए कोई समिति का गठन किया गया है ? यदि हां तो समिति में कौन-कौन सदस्य है तथा इनके द्वारा क्या अनुशंसा की गई है ? कितने लोगों की रिहाई दिनांक 28-02-21 तक की गई है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : [जेल विभाग में समिति का गठन नहीं किया गया है. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.] जी नहीं. जेलों में बंद आदिवासियों के लिये नहीं अपितु, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हेतु माननीय न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक (सेवानिवृत्त) मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में समिति गठित है. समिति गठन का आदेश जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा उपरांत, वापसी योग्य पाये जाने की स्थिति में, प्रकरण वापसी की अनुशंसा की जाती है. यह आवश्यक नहीं है कि जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है, वे जेलों में बंदी रखे गये हों. जेलों में निरुद्ध बंदियों की रिहाई का निर्णय माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है. अतः शेषांश का प्रश्न नहीं है.

[पुनरीक्षित उत्तर]

स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन हेतु सामग्री प्रदाय

19. (क्र. 2840) श्री धर्मजीत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में कचरा प्रबंधन के लिए कितनी-कितनी राशि केन्द्र शासन/राज्य शासन से स्वीकृति दी गई है, कब ? (ख) कंडिका "क" के कचरा प्रबंधन के लिए कौन-कौन से सामग्री दिए जाने का प्रावधान है, प्रति गांव कितनी राशि के ? आयटमवार (सामग्रीवार) दर बतावें ? (ग) कंडिका "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में सामग्री प्रदाय के लिए जिला रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली में किन-किन फर्म/व्यक्ति को अधिकृत किया गया है, सामग्री की गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर की गई है, ब्यौरा दें ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत गांवों में कचरा प्रबंधन के लिए केन्द्र शासन/राज्य शासन द्वारा पृथक से राशि की स्वीकृति नहीं दी जाती है. अपितु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सभी घटकों के क्रियान्वयन हेतु एकमुश्त राशि केन्द्र/राज्य शासन द्वारा स्वीकृत एवं जारी की जाती है. (ख) कंडिका "क" के कचरा प्रबंधन के लिए सामग्री प्रदाय के प्रावधान की जानकारी ‡‡ संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 की मार्गदर्शिका

के कंडिका 15.1 के अनुसार टोस कचरा प्रबंधन हेतु गांव के 5000 तक की जनसंख्या हेतु प्रति व्यक्ति राशि रु. 60/- एवं 5000 से अधिक जनसंख्या के गांव हेतु प्रति व्यक्ति राशि रु. 45/- तक व्यय करने का प्रावधान है. टोस कचरा प्रबंधन हेतु सामग्री की आवश्यकता का आंकलन डी.पी.आर. (डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) में की जाती है एवं दर का निर्धारण ग्राम पंचायत द्वारा भण्डार क्रय नियम के अनुसार की जाती है. अतः आयटमवार (सामग्रीवार) दर बताया जाना संभव नहीं है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का शासकीय सेवा में प्राथमिकता

20. (क्र. 2849) श्री शिवरतन शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के युवाओं को वर्ष 2018-19 में किन-किन शासकीय सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान की गई है ? (ख) वर्तमान में युवाओं को खेल के क्षेत्र में क्या प्राथमिकता दी जा रही है ? क्या उसमें परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से परिवर्तन किये गये हैं तथा परिवर्तन का क्या कारण है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : [(क) विभिन्न विभागों से जानकारी संकलित की जा रही है. (ख) वर्तमान में युवाओं को खेल के क्षेत्र में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही है. प्राथमिकता की जानकारी परिशिष्ट "अ" में संलग्न है. प्राथमिकता एवं विभिन्न प्रावधानित नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.] (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

कोविड टेस्ट हेतु आर.एन.ए. किट की खरीदी

21. (क्र. 2855) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोविड टेस्ट के लिए आर.एन.ए. किट खरीदी की गई है ? यदि हां, तो कब-कब कितनी-कितनी, किस-किस दर पर किस-किस कंपनी से ? (ख) क्या निर्माताओं की ओपन एंडेड मशीन में लगाने वाली किट की खरीदी के लिए क्लोज एंडेड मशीनों के लिए मांगे जाने वाले प्रोपराइटी आर्टिकल सर्टिफिकेट निविदा में मांगा गया था ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ? (ग) क्या निविदा में किसी विशेष कंपनी की कम्पेटिबल किट की मांग की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) आर.एन.ए. किट की खरीदी के लिए निविदा की गई थी. राज्य शासन द्वारा कोविड-19 हेतु गठित क्रय समिति की तकनीकी उप समिति की अनुशंसा के आधार पर किट के निविदा दस्तावेज में प्रोपराइटी आर्टिकल सर्टिफिकेट की मांग की गई थी. इसका कारण तकनीकी उप समिति द्वारा बताया गया कि अन्य कंपनी के किट के प्रयोग करने से जांच हेतु स्थापित मशीन में तकनीकी खराबी होना तथा परिणाम की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना थी. (ग) निविदा में राज्य शासन द्वारा कोविड 19 हेतु गठित क्रय समिति की तकनीकी उप समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार प्रोपराइटी आर्टिकल सर्टिफिकेट के आधार पर जिस निर्माता कंपनी की मशीन उपलब्ध थी, के लिए कम्पेटिबल किट हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी.

पात्रता श्रेणी से उच्च श्रेणी में शासकीय आवास का आबंटन

22. (क्र. 2865) श्री विनय कुमार भगत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय आवास आबंटन नियम, 2000 के प्रावधानानुसार रायपुर में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 की अवधि में आवास आबंटन समिति की हुई बैठकों की तिथिवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) क्या उक्त बैठकों में किन्ही शासकीय सेवकों को रायपुर शहर स्थित एफ.ई. एवं डी श्रेणी के शासकीय आवास पात्रता से उच्च श्रेणी में आबंटित किए गए हैं ? यदि हां, तो ऐसे आबंटितों के नाम, पदनाम, उनके विभाग, उनके निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध कराये ? (ग) क्या आबंटन के समय संबंधित शासकीय सेवकों की पात्रता की श्रेणी के आवास आबंटन हेतु रिक्त नहीं थे ? यदि थे तो पात्रता से ऊपर शासकीय आवास आबंटन किस आधार पर किया गया ? कृपया संबंधित बैठकों के मिनट्स, कार्यवाही विवरण की जानकारी कृपया उपलब्ध कराये ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार. (ख) जी हां जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार. (ग) जी नहीं, रिक्त थे. संबंधित शासकीय सेवकों की मांग, उपलब्धता एवं कार्य आबंटन नियम अनुसार. पात्रता से ऊपर समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है. समन्वय में प्राप्त अनुमोदन मूल नस्ती पर प्राप्त किया जाता है, इस हेतु पृथक से मिनट्स और कार्यवाही विवरण नहीं बनाया जाता.

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[प्रश्न संख्या 02 (क्र. 547) के भाग (ग) की जानकारी]

गोधन न्याय योजनान्तर्गत गोबर खरीदी की राशि के भुगतान हेतु दिनांक 31 जनवरी 2021 तक संचालनालय कृषि को प्राप्त राशि में से जिलों को प्रदाय राशि का विवरण

क्र.	जिला	प्रदाय राशि रु. लाख में
1	2	5
1	रायपुर	50.920
2	गरियाबंद	4.186
3	बलौदाबाजार	23.041
4	महासमुन्द	7.012
5	धमतरी	15.325
6	दुर्ग	2.000
7	बालोद	14.371
8	बेमेतरा	5.700
9	राजनांदगांव	51.367
10	कबीरधाम	4.060
11	बिलासपुर	4.591
12	मुंगेली	9.220
13	गौरला पेण्ड्रा मरवाही	4.470
14	जांजगीर	10.840
15	कोरबा	8.700
16	रायगढ़	40.868
17	सरगुजा	9.370
18	सूरजपुर	3.400
19	बलरामपुर	3.600
20	जशपुर	6.900
21	कोरिया	24.844
22	बस्तर	5.780
23	कोण्डागांव	3.715
24	कांकेर	8.196
25	दंतेवाड़ा	1.102
26	सुकमा	1.470
27	बीजापुर	6.000
28	नारायणपुर	0.310
	योग	331.357

संक्षेपिका

करूवा नाला चेकडेम का निर्माण कृषि विभाग द्वारा ग्राम जेवरी के लोकल नाला में किया गया है। वर्षाऋतु में नाले में बाढ़ आने पर चेकडेम में निर्मित जलद्वार से पानी पूरी तरह से निकल नहीं पाने के कारण एफलक्स निर्मित होने से नाले में बैक वाटर का लेवल बढ़ जाता है। किसान का खेत नाला तल से कम ऊँचाई पर होने के कारण एवं उसके द्वारा स्वयं के आवागमन हेतु नाले पर कम व्यास वाला पाईप लगाया गया है। अतः पानी पूरी तरह नहीं निकल पाने के कारण नाले में पानी का जमाव होता है, तथा पानी कृषक के खेत में घुस जाता है। कृषक की फसल नुकसानी की शिकायत इस विभाग को प्राप्त होने पर स्थल निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि आसपास के सभी खेतों में धान की फसल लगी थी परन्तु मात्र शिकायतकर्ता कृषक द्वारा टमाटर एवं दूसरी सब्जी की फसल का लेना पाया गया। भविष्य में फसल नुकसान न हो, के लिये कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसके अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा मनरेगा में नाले के अंदर बेशरम की झाड़ियों की साफ-सफाई एवं जमा गाद की सफाई का कार्य, कृषि विभाग द्वारा निर्मित चेकडेम के पानी निकासी को पुनः परीक्षण कर लेवल की जांच करना, एवं जलद्वार की सतह नीचे करना, कृषक द्वारा स्वयं निर्मित पुल के पाईप को नाले की सतह पर रखना एवं बड़ा पाईप लगाने से बिना रूकावट के पानी निकल सके एवं एफलक्स निर्मित न हो सकें। लगभग 40 वर्ष पूर्व निर्मित नहर के अंतिम छोर जो कि कृषक के खेत से 500 मीटर ऊपर नाले में मिलता है जिसका डिस्चार्ज नगण्य है, किन्तु कृषको द्वारा अधिक वर्षा की स्थिति में खेतों के पानी को नहर में इनलेट किया जाता है। उस पानी को भी जेवरी-मोहलाई रोड में पाईप लगाकर पार करा देने से पानी दो भागों में बांटा जा सकेगा। उपरोक्त निराकरण के पश्चात नाले के बहाव में कमी आयेगी, जिससे भविष्य में कृषक का खेत नहीं डुबेगा।

परिशिष्ट "तीन"

[प्रश्न संख्या 07 (क्र. 1581) के भाग (ग) की जानकारी]

दुर्ग संभाग में पदस्थ डॉक्टरों की योग्यता का उल्लेख करते हुए जिलेवार जानकारी

क्र.	चिकित्सकों का नाम	धारित पद नाम	शैक्षणिक योग्यता		पदस्थापना जिला	रिमार्क
			विषय विशेषज्ञ	पीजी डिग्री / डिप्लोमा		
1	2	3	4	5	6	
	डॉ. गभीर सिंह ठाकुर	सीएमएचओ	रेडियोलॉजी	RADIO	दुर्ग	
	डॉ. सतीश कुमार मेश्राम	डीएचओ	MBBS		दुर्ग	
3	डॉ. के.के. जैन	विशेषज्ञ	मेडीसिन	MD Medi	दुर्ग	
4	डॉ. सुदामाराम चंद्राकर	विशेषज्ञ	शिशुरोग	MD ped	दुर्ग	
5	डॉ. पुनीतराम बालकिशोर	विशेषज्ञ	ई.एन.टी.	MS ENT	दुर्ग	
6	डॉ. अरुण कुमार साहू	विशेषज्ञ	रेडियोलॉजी	MD Radio	दुर्ग	
7	डॉ. हेमन्त कुमार साहू	विशेषज्ञ	शिशुरोग	MD ped	दुर्ग	
8	डॉ. आर.के. मल्होत्रा	विशेषज्ञ	शिशुरोग	MD ped	दुर्ग	
9	डॉ. मनोज कुमार दानी	विशेषज्ञ	मेडीसिन	MD Medi	दुर्ग	
10	डॉ. राजेन्द्र कुमार देवांगन	विशेषज्ञ	मेडीसिन	MD Medi	दुर्ग	
11	डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल	विशेषज्ञ	पैथोलॉजी	MD patho	दुर्ग	
12	डॉ. अशोक कुमार गनवीर	विशेषज्ञ	ई.एन.टी.	MS ENT	दुर्ग	
13	डॉ. भागवत राम देशलहरा	विशेषज्ञ	ई.एन.टी.	MS ENT	दुर्ग	
14	डॉ. ब्रद्री नारायण देवांगन	विशेषज्ञ	रेडियोलॉजी	MD Radio	दुर्ग	
15	डॉ. श्रीमती रीनू तिवारी	विशेषज्ञ	ई.एन.टी.	MS ENT	दुर्ग	
16	डॉ. संजय कुमार बालबान्दे	विशेषज्ञ	ऐनेस्थेसिया	MD Anaes	दुर्ग	
17	डॉ. श्रीमती सरिता निंज	विशेषज्ञ	सर्जरी	MS surgery	दुर्ग	
18	डॉ. कमलेश दत्त तिवारी	विशेषज्ञ	अस्थिरोग	MS ORTH/ DIPDHM	दुर्ग	
19	डॉ. सुरेश कुमार अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
20	डॉ. श्रीमति नीलिमा शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
21	डॉ. श्रीमती सुगम सावन्त (अस्थाना)	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
22	डॉ. शुभ्रत नंदी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
23	डॉ. कृष्णा देवनानी (तोलानी)	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
24	डॉ. श्रीमति अल्पना अग्रवाल	विशेषज्ञ	नेत्ररोग	DIP OPTH	दुर्ग	
25	डॉ. श्रीमति दिव्या श्रीवास्तव	चिकित्सा अधिकारी	DCH	CHILD	दुर्ग	
26	डॉ. अखिलेश कुमार यादव	विशेषज्ञ	अस्थिरोग	DIP ORTH	दुर्ग	
27	डॉ. श्रीमति रीता चाबा (जौन)	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
28	डॉ. श्रीमति ममता पांडे	विशेषज्ञ	स्त्रीरोग	MD GYNO	दुर्ग	
29	डॉ. राजेन्द्र कुमार खन्डेलवाल	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
30	डॉ. श्रीमति संगीता भाटिया	विशेषज्ञ	नेत्ररोग	DOMS OPTH	दुर्ग	
31	डॉ. बलराम साहू	विशेषज्ञ	स्त्रीरोग	DIP GYNO	दुर्ग	
32	डॉ. चंद्रभान सिंह बंजारे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
33	डॉ. अशोक कुमार सान्याल	विशेषज्ञ	सर्जरी	MS SURG	दुर्ग	

क्र.	चिकित्सकों का नाम	धारित पद नाम	शैक्षणिक योग्यता		पदस्थापना जिला	रिमाक
			विषय विशेषज्ञ	पीजी डिग्री / डिप्लोमा		
2		3	4	5	6	
34	डॉ. नारायण लाल बंजारे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
35	डॉ. कु. ममता तिवारी	चिकित्सा अधिकारी	MS	OPHTH	दुर्ग	अना. अनु.
36	डॉ. अविनाश कुमार नागदेवे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
37	डॉ. राजकुमार नायक	विशेषज्ञ	अस्थिरोग	MS ORTH	दुर्ग	
38	डॉ. श्रीमती सीमा जैन	चिकित्सा अधिकारी	DNB	CHILD	दुर्ग	
39	डॉ. विपिन जैन	विशेषज्ञ	अस्थिरोग	Dip ORTH	दुर्ग	
40	डॉ. श्रीमती रचना अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	DNB	GYNO	दुर्ग	
41	डॉ. मृदुल कुमार सिंह	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
42	डॉ. संजय कुमार जामगड़े	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
43	डॉ. जिज्ञासा	चिकित्सा अधिकारी	DCP	PATH&mb	दुर्ग	
44	डॉ. श्रीमती मंजूषा उमरेडकर	चिकित्सा अधिकारी	MS	ENT	दुर्ग	
45	डॉ. श्रीमती निवेदिता डेनी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
46	डॉ. श्रीमती कविता श्रीनिवास	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	अना. अनु.
47	डॉ. राजीव चन्द्रकार	चिकित्सा अधिकारी	MD	MEDI	दुर्ग	अना. अनु.
48	डॉ. धनवंतरी प्रसाद ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
49	डॉ. कुमारी कुन्ती ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
50	डॉ. महावीर प्रसाद जौहरी	चिकित्सा अधिकारी	MS	SURG	दुर्ग	अना. अनु.
51	डॉ. आशीष शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MD	Physion	दुर्ग	
52	डॉ. पीयूष सिंह	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
53	डॉ. श्रीमती उज्ज्वला देवांगन (उमरेडकर)	विशेषज्ञ	स्त्रीरोग	DIP GYNO	दुर्ग	
54	डॉ. आशा बंसोड	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
55	डॉ. नरेन्द्र गोलन	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
56	डॉ. सोनाली राठी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	अना. अनु.
57	डॉ. स्वामी देव भुपेन्द्र	विशेषज्ञ	अस्थिरोग	DIP ORTH	दुर्ग	
58	डॉ. ज्योति ध्रुव	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
59	डॉ. विपिन चन्द्रकार	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	अना. अनु.
60	डॉ. मंजु राठौड़	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
61	डॉ. स्मिता	विशेषज्ञ	स्त्रीरोग	DGO GYNO	दुर्ग	
62	डॉ. देवेन्द्र किशोर बेलचन्दन	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
63	डॉ. रुबी मरकाम ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
64	डॉ. पुष्पा अंजु क्लाइमिस	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
65	डॉ. भवन लाल मरकाम	चिकित्सा अधिकारी	DLO	ENT	दुर्ग	
66	डॉ. भुनेश्वर कठौतिया	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
67	डॉ. संजीव शुक्ला	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	

क्र.सं.	चिकित्सकों का नाम	धारित पद नाम	शैक्षणिक योग्यता		पदस्थापना जिला	रिमार्क
			विषय विशेषज्ञ	पीजी डिग्री / डिप्लोमा		
1	2	3	4	5	6	
68	डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
69	डॉ. श्रीमती बेबी नन्दा वाहने	विशेषज्ञ	नेत्ररोग	DIP OPTH	दुर्ग	
70	डॉ. श्रीमती बतीता सक्सेना	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
71	डॉ. विनीता धुव	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
72	डॉ. शशिकान्त स्वर्णकार	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
73	डा. पूजा वर्मा (पटेल)	चिकित्सा अधिकारी	DIP	ANAESTH	दुर्ग	
74	डॉ. पुनालाल भगत	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
75	डॉ. रिम्पल भाटिया	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
76	डॉ. रविन्द्र कुमार वर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
77	डॉ. त्रिवेन्द्र कुमार मिश्रा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
78	डॉ. विश्वजीत मढ़रिया	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
79	डॉ. रश्मि आभा मिंज	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
80	डॉ. सीमान्त सिंह ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
81	डॉ. अभिशेष कुमार सिंह	चिकित्सा अधिकारी	MD	PATH.	दुर्ग	
82	डॉ. सदफ फिरदौस शेख	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
83	डॉ. आयशा शेख	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
84	डॉ. ईशा अरविन्द	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
85	डॉ. स्वाती हिरवानी	चिकित्सा अधिकारी	MD	PHRMO	दुर्ग	
86	डॉ. गुलशन कुमार दिल्लीवार	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	पीजी अध्ययनरत
87	डॉ. श्रुति तिवारी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	पीजी अध्ययनरत
88	डॉ. काव्येश साहू	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	पीजी अध्ययनरत
89	डॉ. सौम्या सूद	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
90	डॉ. ऋद्धि अरोरा	चिकित्सा अधिकारी	MD	Skins VD	दुर्ग	अना. अनु.
91	डॉ. अवधेश प्रताप सिंह परिहार	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	पीजी अध्ययनरत
92	डॉ. प्रफुल्ल कुमार धीवर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
93	डॉ. राजन बाबू	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
94	डॉ. रूचि गनवीर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
95	डॉ. सुषमा सिंग	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
96	डॉ. श्रेया शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
97	डॉ. कल्पना शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
98	डॉ. अमित कुमार चन्द्राकर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
99	डॉ. सोनिका विलियम्स चौरसिया	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
100	डॉ. शृशांत दुबे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
101	डॉ. नवीन कुमार तिवारी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	

क्र.	चिकित्सकों का नाम	धारित पद नाम	शैक्षणिक योग्यता		पदस्थापना जिला	रिमार्क
			विषय विशेषज्ञ	पीजी डिग्री / डिप्लोमा		
	2	3	4	5	6	
	डॉ. विभोर लाल्ल	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
	डॉ. देवागया चन्द्राकर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
104	डॉ. आदित्य नारायण शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
105	डॉ. महेन्द्र कुमार बरेठ	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
106	डॉ. ज्योत्सना भारती	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
107	डॉ. कुंदन जोगी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
108	डॉ. शिखा बाजपेयी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
109	डॉ. सुनिता	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		दुर्ग	
110	डॉ. विमल प्रसाद खुंटे	विशेषज्ञ	स्त्रीरोग	MD Gynae	राजनांदगांव	
111	डॉ. बी.सी. जैन	विशेषज्ञ	सर्जरी	MS surgery	राजनांदगांव	
112	डॉ. मदन गोपाल तिवारी	विशेषज्ञ	सर्जरी	MS surgery	राजनांदगांव	
113	डॉ. रामस्वरूप ठाकुर	विशेषज्ञ	ई.एन.टी.	MS ENT	राजनांदगांव	
114	डॉ. श्रीमती माधुरी खुटे	विशेषज्ञ	शिशुरोग	MD ped	राजनांदगांव	
115	डॉ. दिवाकर रंगारी	विशेषज्ञ	मेडीसिन	MD Medi	राजनांदगांव	निलंबित
116	डॉ. वी पी महेश्वर	विशेषज्ञ	ऐनेस्थेसिया	DIP Anaes	राजनांदगांव	
117	डॉ. बृजेन्द्र कुमार गुप्ता	विशेषज्ञ	सर्जरी	MS surgery	राजनांदगांव	
118	डॉ. कु. लीला देवी रामटेके	विशेषज्ञ	ऐनेस्थेसिया	MD Anaes	राजनांदगांव	
119	डॉ. राज कुमार पासी	विशेषज्ञ	ऐनेस्थेसिया	MD Anaes	राजनांदगांव	
120	डॉ. उदय सिंह चन्दवंशी	विशेषज्ञ	मेडीसिन	MD Medi	राजनांदगांव	
121	डॉ. श्रीमती अल्पना नंद	विशेषज्ञ	ई.एन.टी.	DLO	राजनांदगांव	
122	डॉ. योगेश कुमार तिवारी	चिकित्सा अधिकारी	MS	ORTH	राजनांदगांव	
123	डॉ. राजेश कुमार सद्दानी	चिकित्सा अधिकारी	MS	ORTH	राजनांदगांव	
124	डॉ. अशोक कुमार बन्सोड	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
125	डॉ. भुवन लाल कुमरे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
26	डॉ. शेष राम मंडावी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
27	डॉ. मिथिलेश चौधरी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
28	डॉ. हेमन्त उपाध्याय	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
29	डॉ. मिलिन्द कुमार भूआर्य	चिकित्सा अधिकारी	DPHM	DPHM	राजनांदगांव	
30	डॉ. अनिल महाकालकर	विशेषज्ञ	अस्थिरोग	DIP ORTH	राजनांदगांव	
31	डॉ. प्रवीण कुमार सिंह परिहार	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
32	डॉ. विजय-कुमार खोब्रागडे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
33	डॉ. राजेश कुमार	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
34	डॉ. पवन कुमार जैठानी	चिकित्सा अधिकारी	DIP	TB	राजनांदगांव	
35	डॉ. श्रीमती वेनेदिक्ता पूर्ति एक्का	चिकित्सा अधिकारी	MD	CHILD	राजनांदगांव	

1-	चिकित्सकों का नाम	धारित पद नाम	शैक्षणिक योग्यता		पदस्थापना जिला	रिमाक
			विषय विशेषज्ञ	पीजी डिग्री / डिप्लोमा		
1-	2	3	4	5	6	
136	डॉ.रामू राम धर्वे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
137	डॉ.प्रवीण कुमार गोस्वामी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
138	डॉ. श्रीमती अल्पना लुनिया	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
139	डॉ. श्रीमती सूचिता श्रीवास्तव	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
140	डॉ. श्रीमती सीमा ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
141	डॉ. बंशीलाल तुलावी	चिकित्सा अधिकारी	MS	ENT	राजनांदगांव	
142	डॉ. सोहद्रा ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	DCP	PATH	राजनांदगांव	
143	डॉ. पुष्पेन्द्र नरेटी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
144	डॉ. ओंकार प्रसाद कश्यप	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
145	डॉ. कु. मनीषा केशर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	अना. अनु.
146	डॉ. मुधु राठोर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	अना. अनु.
147	डॉ. प्रवीण कटारिया	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	अना. अनु.
148	डॉ. सुदेश कुमार बन्सोड	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
149	डॉ. सोनउराम कोवाची	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
150	डॉ. विवेक बिसेन	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
151	डॉ. दीपक धृतलहरे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
152	डॉ. ऋतुराज सिंह ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
153	डॉ. सुश्री रागिनी चन्द्रे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
154	डॉ. प्रीती वैष्णव	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
155	डॉ. मनीष बघेल	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
156	डॉ. नीशा मेश्राम	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
157	डॉ. यशपाल सिंह सुमन	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
158	डॉ. गुलशन नेताम	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
159	डॉ. मल्लिका कटकवार	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	अना. अनु.
160	डॉ. भुपेन्द्र कुमार जंघेल	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
161	डॉ. कमलेश जंघेल	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
162	डॉ. जया जैन	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
163	डॉ. उषा विध्यराज	चिकित्सा अधिकारी	DOMS	OPHTH	राजनांदगांव	
164	डॉ. नितिन गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
165	डॉ. देवेश ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
166	डॉ.अंकिता-गोस्वामी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
167	डॉ. नंद किशोर टण्डन	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
168	डॉ.चन्द्रकांत उर्वाशा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
169	डॉ.अभिनव कुमार पंचारी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	

क्र.	चिकित्सकों का नाम	धारित पद नाम	शैक्षणिक योग्यता		पदस्थापना जिला	रिमार्क
			विषय विशेषज्ञ	पीजी डिग्री/ डिप्लोमा		
1	2	3	4	5	6	
170	डॉ. अर्चना रात्रे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
171	डॉ. निकिता गिरेपून्जे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
172	डॉ. वर्षा ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
173	डॉ. प्रवीण शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
174	डॉ. सुनील साहू	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
175	डॉ. सचिता उईके	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
176	डॉ. खालिदा खान	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
177	डॉ. अपराजिता महिस्वर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
178	डॉ. विभूति नायक	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
179	डॉ. बुद्धेश्वरी देशमुख	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
180	डॉ. चन्द्रकला ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		राजनांदगांव	
181	डॉ. जयप्रकाश मेश्राम	विशेषज्ञ	पैथोलॉजी	MD patho	बालोद	
182	डॉ. सोमन सिंग देवदास	विशेषज्ञ	रेनेस्थिसिया	MD Anaes	बालोद	
183	डॉ. पुरणलाल मेरिया	विशेषज्ञ	क्षयरोग	DIP TB	बालोद	
184	डॉ. रविन्द्र कुमार श्रीमाली	विशेषज्ञ	शिशुरोग	MD ped	बालोद	
185	डॉ. के पी चंद्राकर	चिकित्सा अधिकारी	DMCH	CHLD	बालोद	
186	डॉ. अरविंद कुमार मिश्रा	विशेषज्ञ	नेत्ररोग	MS OPTH	बालोद	
187	डॉ. कैलाश कुमार रामटेके	चिकित्सा अधिकारी	DCP	PATH	बालोद	
188	डॉ. विनोद कुमार चौरका	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
189	डॉ. रेणुका बाला प्रसन्नो	चिकित्सा अधिकारी	MD	PSM	बालोद	
190	डॉ. निरजंन सिंह भंडारी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
191	डॉ. विजय सिंह ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
192	डॉ. नितीश साव	चिकित्सा अधिकारी	DLO	ENT	बालोद	
193	डॉ. नरेन्द्र कुमार ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
194	डॉ. शिरीष कुमार सोनी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
195	डॉ. श्रीमती शिरिन परवीन खान	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
196	डॉ. प्रभा बर्मन	चिकित्सा अधिकारी	MS	SURG	बालोद	
197	डॉ. जी.आर. रावटे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
198	डॉ. जय कुमार चुनारकर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
199	डॉ. रनिता रानी ऐलन	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	अना. अनु.
200	डॉ. मुषेन्द्र अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
201	डॉ. मेघा झा	चिकित्सा अधिकारी	DCH	CHLD	बालोद	
202	डॉ. विवेक साहू	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	अना. अनु.
203	डॉ. करुण कुमार बम्बेश्वर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	

	डॉ. का नाम	धारित पद नाम	शैक्षणिक योग्यता		पदस्थापना जिला	रिमार्क
			विषय विशेषज्ञ	पीजी डिग्री / डिप्लोमा		
	2	3	4	5	6	
204	डॉ. विश्वशील करवडे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	अना. अनु.
205	डॉ. कल्याण कुमार सिंघा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
206	डॉ. अनुराग अमित रस्तोगी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
207	डॉ. श्रेय चन्द्राकर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
208	डॉ. देवेन्द्र कुमार बोरकर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
209	डॉ. भूपेन्द्र सोनकर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
210	डॉ. अभिषेक बंजारे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
211	डॉ. ओम प्रकाश गौरे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	अना. अनु.
212	डॉ. सुजाता कुमारी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
213	डॉ. श्रीमती रश्मि ग्लेड (नाथन)	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
214	डॉ. संजीव ग्लेड	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बालोद	
215	डॉ. नुरेन्द्र कुमार साहू	चिकित्सा अधिकारी	MS	SURG	बालोद	
216	डॉ. बाबूलाल रात्रे	डीएचओ	MBBS	-	बालोद	
217	डॉ. गुण्डबाला गौतम	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
218	डॉ. जितेन्द्र कुमार	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
219	डॉ. सिद्धार्थ भारद्वाज	चिकित्सा अधिकारी	DIP	ORTHO	बालोद	अना. अनु.
220	डॉ. धर्म धनंजय	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
221	डॉ. सोनम नेताम	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
222	डॉ. शिवेश मानिकपुरी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
223	डॉ. वंदना मानसर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
224	डॉ. भोजेश्वरी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
225	डॉ. अजय कुमार साहू	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
226	डॉ. चारुप्रिया	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
227	डॉ. दीपिका पटेल	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
228	डॉ. सत्येन्द्र मारकण्डे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
229	डॉ. कु. मधुलिका चन्द्राकर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	अना. अनु.
230	डॉ. विनोद कुमार भोयर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
231	डॉ. कुश पाण्डेय	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
232	डॉ. रोशन कुमार	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	अना. अनु.
233	डॉ. नीरज भुसाखरे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	-	बालोद	
234	डॉ. सिद्धार्थ भारद्वाज	चिकित्सा अधिकारी	DIP	ORTH	बालोद	
235	डॉ. सतीश कुमार शर्मा	विशेषज्ञ	पैथोलॉजी	MD patho	बेमेतरा	
236	डॉ. कु. वन्दना भेले	विशेषज्ञ	स्त्रीरोग	MD Gynae	बेमेतरा	
237	डॉ. नरेश चंद्र लांगे	विशेषज्ञ	नेत्ररोग	DOMS OPTH	बेमेतरा	

1	2	3	शैक्षणिक योग्यता		6	रिमाक
			4	5		
	चिकित्सकों का नाम	धारित पद नाम	विषय विशेषज्ञ	पीजी डिग्री / डिप्लोमा	पदस्थापना जिला	
238	डॉ. दीपक कुमार मिरे	चिकित्सा अधिकारी	DIP	CHLD	बेमेतरा	
239	डॉ. अजितेन्द्र कुमार कुंजाम	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
240	डॉ. अश्वनी कुमार वर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
241	डॉ. शरद कोहाडे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
242	डॉ. सजंय कुमार धुर्वे	चिकित्सा अधिकारी	DIP	ORTH	बेमेतरा	अना. अनु.
243	डॉ. धनश्याम सिंह ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
244	डॉ. समता रंगारी	चिकित्सा अधिकारी	MS	OPHTH	बेमेतरा	
245	डॉ. मुधबाला मुलकलवार	चिकित्सा अधिकारी	MD	PATH	बेमेतरा	अना. अनु.
246	डॉ. प्रतिभा शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MD	RADIO	बेमेतरा	अना. अनु.
247	डॉ. राधवेन्द्र कुमार वर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	पीजी अध्ययनरत
248	डॉ. गुलशन कुमार मंडले	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
249	डॉ. पंकज वर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	अना. अनु.
250	डॉ. नितिन कुमार दास	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	अना. अनु.
251	डॉ. ज्योति अनिल जसाठी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
252	डॉ. सोनल अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	अना. अनु.
253	डॉ. आशिष वर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
254	डॉ. बोधेश्वर सिंह वर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
255	डॉ. गोपीकृष्ण पटेल	चिकित्सा अधिकारी	MS	ENT	बेमेतरा	अना. अनु.
256	डॉ. मनीष कुमार वर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
257	डॉ. दीक्षा कश्यप	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
258	डॉ. तिकेश्वर कुमार धुर्वे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
259	डॉ. प्रवीण प्रतीक प्रधान	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
260	डॉ. अविनाश मारकडेय	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
261	डॉ. नीलम मढ़रिया	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	अना. अनु.
262	डॉ. कुंदन लाल स्वर्णकार	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
263	डॉ. मो. मुबास्सीर रजा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
264	डॉ. आदित्य दीपक	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
265	डॉ. नेहा साहू	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
266	डॉ. खुशबू देवांगन	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
267	डॉ. विभा सिंह	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
268	डॉ. विभा बर्मन	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
269	डॉ. उज्जवला टंडन	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
270	डॉ. चन्द्र प्रकाश	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		बेमेतरा	
271	डॉ. इन्द्रमन सिंह ठाकुर	विशेषज्ञ	सर्जरी	MS surgery	कवर्धा	

	कर्मियों का नाम	धारित पद नाम	शैक्षणिक योग्यता		पदस्थापना जिला	रिमाक
			विषय विशेषज्ञ	पीजी डिग्री / डिप्लोमा		
	2	3	4	5	6	
	डॉ. सुरेश कुमार तिवारी	विशेषज्ञ	सर्जरी	MS surgery	कवर्धा	
	डॉ. सलिल कुमार मिश्रा	विशेषज्ञ	शिशुरोग	MD ped	कवर्धा	
	डॉ. शैलेन्द्र कुमार मंडल	डीएचओ	MBBS		कवर्धा	
	डॉ. पुरुषोत्तम लाल कुर्र	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
276	डॉ. कालिका प्रसाद जांगडे	चिकित्सा अधिकारी	MS	ENT	कवर्धा	अना. अनु.
277	डॉ. बाबू लाल राज	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
278	डॉ. प्रभात चन्द्र प्रभाकर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
279	डॉ. सतीश कुमार चन्द्रवंशी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
280	डॉ. गजेन्द्र सिंह कोशल	चिकित्सा अधिकारी	DIP	ORTH	कवर्धा	
281	डॉ. संजय खरसन	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
282	डॉ. केशव कुमार धुव	चिकित्सा अधिकारी	DLO	ENT	कवर्धा	
283	डॉ. पुष्पा तरुण	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
284	डॉ. आदेश बागडे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
285	डॉ. धर्मेन्द्र कुमार	चिकित्सा अधिकारी	MD	ANTH	कवर्धा	अना. अनु.
286	डॉ. स्वदेश जायसवाल	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
287	डॉ. जितेन्द्र कुमार वर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
288	डॉ. योगेश कुमार साहू	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
289	डॉ. मधुसूदन डोगरे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
290	डॉ. स्वप्निल तिवारी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
291	डॉ. अविनाश पाठक	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
292	डॉ. गौरव सिंह परिहार	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
293	डॉ. सुशीला किण्डो	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
294	डॉ. विलसन कुजूर	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
295	डॉ. विनोद चन्द्रवंशी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
296	डॉ. लाल चन्द्र धुव	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
297	डॉ. प्रेम लाल रात्रे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
298	डॉ. पुरुषोत्तम बांधवे	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
299	डॉ. प्रदीप कुमार साहू	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
300	डॉ. अंजुबाला रानी वर्मा	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
301	डॉ. पुरुषोत्तम सिंह राजपूत	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	
302	डॉ. विवेक चन्द्रवंशी	चिकित्सा अधिकारी	MBBS		कवर्धा	

परिशिष्ट "चार"

[प्रश्न संख्या 08 (क्र. 1940) की जानकारी]

सेनेटाईजर एवं पीपीई किट खरीदी हेतु एल 1, एल 2 एवं एल 3 में आने वाली एजेंसियों/फर्मों की सूची

सेनेटाईजर	एल 1	एल 2	एल 3
100 एम.एल.	गुरु सर्जिको रायगढ़	चन्द्र मेडिकल एजेंसी, रायगढ़	यूनाईटेड स्पोर्ट, रायगढ़
500 एम.एल.	गुरु सर्जिको रायगढ़	चन्द्र मेडिकल एजेंसी, रायगढ़	यूनाईटेड स्पोर्ट, रायगढ़
1 लीटर	गुरु सर्जिको रायगढ़	श्री श्याम सर्जिकल, रायगढ़	प्रमोद मेडिकल एजेंसी, रायगढ़
5 लीटर	गुरु सर्जिको रायगढ़	श्री श्याम सर्जिकल, रायगढ़	गर्ग हार्डवेयर, रायगढ़
पीपीई किट	सरस्वती ट्रेडर्स बिलासपुर	गुरु सर्जिको रायगढ़	स्मृति प्रिंट हाउस, रायपुर

कार्यादेश की जानकारी

क्रं.	एजेंसी/फर्म का नाम	आइटम का नाम	कार्यादेश क्रं. एवं दिनांक
1	गुरु सर्जिको रायगढ़	सेनेटाईजर	16301, दिनांक 17.08.2020
2	गुरु सर्जिको रायगढ़		16013, दिनांक 11.08.2020
3	गुरु सर्जिको रायगढ़		18426, दिनांक 28.09.2020
4	गुरु सर्जिको रायगढ़		18411, दिनांक 26.09.2020
5	गुरु सर्जिको रायगढ़		19064, दिनांक 08.10.2020
6	गुरु सर्जिको रायगढ़		20818, दिनांक 23.11.2020
7	मेघा सिस्टम रायगढ़	पीपीई किट	12534, दिनांक 17.06.2020
8	मेघा सिस्टम रायगढ़		12532, दिनांक 17.06.2020
9	मेघा सिस्टम रायगढ़		12530, दिनांक 17.06.2020
10	मेघा सिस्टम रायगढ़		12528, दिनांक 17.06.2020
11	मेघा सिस्टम रायगढ़		12526, दिनांक 17.06.2020
12	मेघा सिस्टम रायगढ़		12476, दिनांक 15.06.2020
13	मेघा सिस्टम रायगढ़		12475, दिनांक 15.06.2020
14	मेघा सिस्टम रायगढ़		12474, दिनांक 15.06.2020
15	मेघा सिस्टम रायगढ़		12473, दिनांक 15.06.2020
16	मेघा सिस्टम रायगढ़		12472, दिनांक 15.06.2020
17	मेघा सिस्टम रायगढ़		12493, दिनांक 16.06.2020
18	मेघा सिस्टम रायगढ़		12491, दिनांक 16.06.2020
19	मेघा सिस्टम रायगढ़		12489, दिनांक 16.06.2020
20	मेघा सिस्टम रायगढ़		12487, दिनांक 16.06.2020

21	मेघा सिस्टम रायगढ़	पीपीई किट	12485, दिनांक 16.06.2020
22	मेघा सिस्टम रायगढ़		12807, दिनांक 19.06.2020
23	मेघा सिस्टम रायगढ़		12805, दिनांक 19.06.2020
24	मेघा सिस्टम रायगढ़		12803, दिनांक 19.06.2020
25	मेघा सिस्टम रायगढ़		12801, दिनांक 19.06.2020
26	मेघा सिस्टम रायगढ़		12799, दिनांक 19.06.2020
27	मेघा सिस्टम रायगढ़		12626, दिनांक 18.06.2020
28	मेघा सिस्टम रायगढ़		12624, दिनांक 18.06.2020
29	मेघा सिस्टम रायगढ़		12622, दिनांक 18.06.2020
30	मेघा सिस्टम रायगढ़		12620, दिनांक 18.06.2020
31	मेघा सिस्टम रायगढ़		12618, दिनांक 18.06.2020

परिशिष्ट "पांच"

[प्रश्न संख्या 09 (क्र. 2118) के भाग (क) की जानकारी]

कोरबा जिले के कोविड 19 सेंटरों में कोविड मरीजों हेतु भोजन, चाय एवं नाश्ता की व्यवस्था एवं समूहों की जानकारी

क्र.	कोविड सेंटर का नाम	भोजन चाय एवं नाश्ता उपलब्ध कराने की अवधि	भोजन चाय एवं नाश्ता उपलब्ध कराने वाले समूहों का नाम
1	कोविड-19 अस्पताल कोरबा	14.04.2020 से 20.04.2020	नव दुर्गा महिला स्व सहायता समूह जिला कार्यालय परिसर कोरबा
		17.04.2020 से 31.05.2020	ताज डिलीयस कोरबा
		14.10.2020 से 26.11.2020	बिहान कैंटीन, जिला कार्यालय परिसर
2	कोविड केयर सेंटर सीपेट स्याहीमुडी	15.06.2020 से 28.02.2021	लाईफलाईन कैंटिन एवं रेस्टोरेंट कोरबा

परिशिष्ट "छः"

[प्रश्न संख्या 10 (क्र. 2266) के भाग (क) की जानकारी]

रेलवे कॉरिडोर तिल्दा से जी.एम.आर. पॉवर प्लांट/अडानी पॉवर प्लांट तक औद्योगिक प्रयोजन (औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेलवे लाईन निर्माण योजना) हेतु निजी भूमि अधिग्रहण की जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)	कुल खसरा संख्या
1	तिल्दा	6.508	54
2	ताराशिव	2.111	23
3	खम्हरिया	4.162	29
4	बहेसर	5.399	58
5	बरतोरी	4.928	28
6	गैतरा	4.098	20
7	कोनारी	3.620	20
8	तुलसी	19.673	92
	योग:-	50.499	324

राजस्व विभाग से उद्योग विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमि की जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)	कुल खसरा संख्या
1	तिल्दा	0.320	1
2	ताराशिव	0.404	2
3	गैतरा	0.089	1
4	तुलसी	0.606	3
	योग:-	1.419	7

परिशिष्ट "सात"

[प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2278) के भाग (क) की जानकारी]

स.क.	जिला	स्वीकृत
1	बालोद	394
2	बलौदाबाजार	461
3	बलरामपुर	528
4	बस्तर	698
5	बेमेतरा	339
6	बीजापुर	368
7	बिलासपुर	626
8	दंतेवाड़ा	342
9	धमतरी	506
10	दुर्ग	680
11	गरियाबंद	355
12	गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही	121
13	जांजगीर	602
14	जशपुर	673
15	कांकेर	686
16	कवर्धा	372
17	कोंडागांव	480
18	कोरबा	594
19	कोरिया	500
20	महासमुन्द	436
21	मुंगेली	318
22	नारायणपुर	268
23	रायगढ़	606
24	रायपुर	933
25	राजनांदगांव	672
26	सुकमा	312
27	सूरजपुर	574
28	सरगुजा	630
29	राज्य कार्यालय	1399
कुल योग		15473

परिशिष्ट "आठ"

[प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2398) की जानकारी]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी

क	जिला	कार्यक्रम प्रबंधन	सेवा प्रदाता	कुल कार्यरत की संख्या
	योग	2502	8194	10696

परिशिष्ट "नौ"

[प्रश्न संख्या 13 (क्र. 2415) के भाग (क) की जानकारी]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिलेवार कार्यरत सविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी

स.फ.	जिला	कार्यरत
1	बालोद	270
2	बलौदाबाजार	325
3	बलराभपुर	462
4	बस्तर	612
5	बेमेतरा	272
6	बीजापुर	228
7	बिलासपुर	442
8	दंतेवाड़ा	221
9	धमतरी	366
10	दुर्ग	510
11	गरियाबंद	206
12	गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही	90
12	जॉजगीर	390
13	जशपुर	492
14	कांकेर	610
15	कवर्धा	321
16	कोंडागाँव	382
17	कोरबा	374
18	कोरिया	373
19	महासमुन्द	323
20	मुगेंली	218
21	नारायणपुर	171
22	रायगढ़	470
23	रायपुर	725
24	राजनांदगाँव	520
25	सुकमा	218
26	सूरजपुर	474
27	सरगुजा	473
28	राज्य कार्यालय	158
कुल योग		10696

परिशिष्ट "दस"

[प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2780) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	जिले का नाम	सीमेंट संयंत्र का नाम	अधिग्रहित निजी भूमि (रकबा हेक्टे. में)	किसानों की संख्या
1	रायपुर	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (पूर्व नाम सेन्चुरी सीमेंट लि.), ग्राम-बैकुण्ठ, तह.-तिल्दा, जिला-रायपुर	निरंक	निरंक
2.	बलौदाबाजार- भाटापारा	मेसर्स न्यू विस्टा सीमेंट लि. (ईमामी सीमेंट लि.) ग्राम-रिसदा, बलौदाबाजार	निरंक	निरंक
3.	बलौदाबाजार- भाटापारा	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. ग्राम-हिरमी, तह. सिमगा	निरंक	निरंक
4.	बलौदाबाजार- भाटापारा	मेसर्स श्री सीमेंट लि. ग्राम-खपराडीह, तह. सिमगा	निरंक	निरंक
5.	बलौदाबाजार- भाटापारा	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. ग्राम-रावन (ग्रासीम) तह. सिमगा,	6.009	36
6.	बलौदाबाजार- भाटापारा	मेसर्स अबुंजा सीमेंट लि. ग्राम-रवान, तह. बलौदाबाजार	219.113	244
7.	बलौदाबाजार- भाटापारा	मेसर्स न्यूवोको विस्टास कार्पो.लि. (पूर्व नाम मे. लाफार्ज इंडिया लि.) ग्राम-सोनाडीह, तह. बलौदाबाजार	55.342	127
		योग	280.464	407

टीप:- सरल क्रमांक 01 से 04 तक उल्लेखित सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है।

परिशिष्ट "ग्यारह"


[प्रश्न संख्या 17 (क्र. 2825) की जानकारी]

पंचायत विभाग में क्रय किये गए टिफिन में से वितरण नहीं किये गये टिफिनों का भंडारण की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	जिले में उपलब्ध शेष टिफिन की संख्या	वर्तमान में शेष टिफिन को रखे गए स्थान का नाम
1	2	3	4
1	जशपुर	25424	1. जनपद पंचायत बगीचा, जशपुर, काँसाबेल एवं पत्थलगौव के स्टोर रूम में। 2. जनपद पंचायत दुलदुला एवं मनोरा के सरपंच सदन भवन में। 3. कुनकुरी के पुराने जनपद पंचायत के सभागार में। 4. जनपद पंचायत फरसाबहार के सामुदायिक मंगल भवन में।
2	कोरिया	18072	जनपद / ग्राम पंचायत कार्यालय में रखा गया है।
3	बिलासपुर	21167	जनपद पंचायत कार्यालय में रखा गया है।
4	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	9000	पंचायत संसाधन केंद्र मरवाही में रखा गया है।
5	मुंगेली	10338	1. जिला पंचायत मुंगेली के डी.पी.आर.सी. भवन में रखा गया है। 2. जनपद पंचायत भवन मुंगेली में रखा गया है।
6	कोरबा	5625	ग्राम पंचायत भवन / अन्य शासकीय भवन में सरपंच / सचिव / ग्राम रोजगार सहायक के अभिरक्षण में रखा गया है।
7	गरियाबंद	16936	भंडार गृह जनपद पंचायत फिंगेश्वर व छुरा में रखा गया है।
8	बलौदाबाजार	31090	जनपद पंचायत कार्यालय में रखा गया है।
9	महासमुंद	391	1. जनपद पंचायत महासमुंद, बागबाहरा, बसना में रखा गया है। 2. ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के अभिरक्षा में रखा गया है।
10	राजनांदगांव	43545	जनपद पंचायतों के शासकीय भवनों में रखा गया है।
11	बालोद	927	जनपद पंचायत के संसाधन केंद्र में रखा गया है।
12	बस्तर	02	टिफिन सत्यापनकर्ता द्वारा जांच हेतु ले जाया गया है।
13	कोण्डागांव	6	06 टिफिन आई आर क्लास सिस्टम सल्युसन प्राइवेट लिमिटेड भोपाल द्वारा लैब टेस्टिंग हेतु लिया गया है।
14	दंतेवाड़ा	181	जनपद पंचायत दंतेवाड़ा में रखा गया है।

परिशिष्ट "बारह"

[प्रश्न संख्या 18 (क्र. 2826) की जानकारी]



छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:मंत्रालय:

महानदी भवन, अटल नगर, जिला- रायपुर

: सशोधित आदेश :

अटल नगर, रायपुर, दिनांक /03/2019

क्रमांक एफ 9-7/2019/1-5 :: राज्य शासन एतद्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, वर्ग के रहवासियों के विशिष्ट दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हेतु इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.03.2019 द्वारा गठित समिति में संशोधन करते हुए सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग के स्थान पर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग को सदस्य सचिव नामांकित करता है। सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग समिति के सदस्य होंगे।

2/ शेष सदस्यगण यथावत् रहेंगे।

62)

25/3

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार— 54 —
(आर.पी.राठिया)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभागपृष्ठांक, एफ 9-7/2019/1-5
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 2/03/2019

1. समिति के माननीय अध्यक्ष,
 2. समिति के माननीय सदस्यगण
 3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़, अटल नगर,
 4. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, अटल नगर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर
 6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय,
 7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, अटल नगर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रिमित।

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय:

महानदी नगर, अटल नगर, जिला- रायपुर

संशोधित आदेश :

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 08/03/2019

क्रमांक एफ 9-7/2019/1-5 : राज्य शासन एतद्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हेतु इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.03.2019 को संशोधित करते हुए माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक, (सेवानिवृत्त), मानव उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन करता है :-

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़
उच्च न्यायालय, बिलासपुर | --- सदस्य |
| 2. | अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग | --- सदस्य |
| 3. | सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति वि.विभाग | --- सदस्य सचिव |
| 4. | पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ रायपुर | --- सदस्य |
| 5. | महानिदेशक, जेल (नक्सल आपरेशन प्रभासी) | --- सदस्य |
| 6. | आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर | --- सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

M. S. S. 19
(मिसे खेस)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांक, एफ 9-7/2019/1-5

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 08/03/2019

प्रतिलिपि :-

1. समिति के माननीय अध्यक्ष,
 2. समिति के माननीय सदस्यगण
 3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़, अटल नगर,
 4. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, अटल नगर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
 6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, अटल नगर
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेषित।

M. S. S. 19
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग,

परिशिष्ट "तेरह"

[प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2840) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

स्वच्छता गतिविधियों की सांकेतिक सूची
और
संसूचक अभिसरण मैट्रिक्स

घटक	निर्माण कार्य				
	SBM चरण-II निधियां (केन्द्र+राज्य)	15वें वित्त आयोग द्वारा दी गई निधियां	MGNREGS	व्यावसायिक मॉडल/ CSR	लाभार्थी द्वारा दिया गया योगदान
घरेलू स्वच्छता गतिविधियों की जानकारी					
IHHL	√				
रेट्रोफिटिंग		√			
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	√	√			
सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए O&M		√		√	
ठोस कचरा प्रबंधन					
घरों में अलग-अलग कूड़ेदान		√			
सार्वजनिक स्थलों पर अलग-अलग कूड़ेदान		√			
कम्पोस्ट पिट्स, ट्राई-साइकिल/ अन्य वाहन, प्लास्टिक कचरा के लिए भंडारण	√	√	√		
अलगाव, भंडारण और कम्पोस्ट परिसरों की स्थापना			√		
संग्रहण और पृथक्करण करने के लिए मजदूरी		√			
परिसरों की सफाई और कचरे की छँटाई के लिए उपकरण					
ठोस कचरा प्रबंधन के लिए संचालन व रख-रखाव				√	
ग्रे वॉटर प्रबंधन					
सोक पिट्स	√	√	√		
ग्रे वॉटर प्रबंधन प्रणालियाँ (WSP आदि)	√	√	√		
बड़े तालाबों का वातन (एरेशन)				√	
नालियां (ड्रेनेज चैनल्स)		√	√		
ग्रे वॉटर प्रबंधन हेतु संचालन व रख-रखाव				√	
सार्वजनिक स्थलों में कचरा प्रबंधन (GPCB/SPCC/SEPCO/संघीय/राज्य/नगर/नगरपालिका स्तर पर)					

घटक	वित्तपोषण का स्रोत				
	SBM चरण-II निधियां (केन्द्र+राज्य)	15वें वित्त आयोग द्वारा दी गई निधियां	MGNREGS	व्यावसायिक मॉडल/ CSR	लाभार्थी द्वारा दिया गया योगदान
ख. जिला/ ब्लॉक स्तर पर की जाने वाली गतिविधियां					
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (PWMU)	√				
गांव के भंडारण स्रोत से PWMU तक ढुलाई जिनमें वाहन शामिल हैं				√	
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई के लिए संचालन व रख-रखाव				√	
खाई खोदना (ट्रेंचिंग)	√				
मलीय कचरा प्रबंधन संयंत्र					
सह-शोधन	समीपस्थ STP/FSTP के साथ अभिसरण				
सेप्टिक टैंक/ सिंगल पिट्स से मल को यांत्रिक रूप से खाली करना और उसकी ढुलाई				√	
मलीय कचरा प्रबंधन के लिए संचालन व रख-रखाव				√	
गोबर-धन परियोजनाएं					
गोबर-धन मॉडल परियोजनाएं	√				
MNRE की NNBOMP के तहत वित्तीय सहायता के अनुरूप गोबर-धन परियोजनाओं को बढ़ाना (न्यूनतम प्रति ब्लॉक 10)		√			√
गोबर-धन परियोजनाओं के लिए संचालन व रख-रखाव				√	

प्रपत्र "ब"

कंडिका 'ग' के प्रश्नांश की जानकारी जिलावार निम्नानुसार है :-

क्र	जिले का नाम	जिले की जानकारी
1	रायपुर	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सामग्री क्रय किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत अधिकृत तथा स्वतंत्र है। सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए विकास खण्ड स्तर से जांच दल गठन किया गया है।
2	बिलासपुर	सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु जिला स्तर से किसी भी फर्म/व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है, इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत को कार्य एजेंसी नियुक्त किया गया है। कार्य एजेंसी भण्डार क्रय में उल्लेखित नियमानुसार किसी फर्म/व्यक्ति से सामग्री क्रय किये जाने के लिए स्वतंत्र है। उक्त क्रय किये गये सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण जनपद पंचायत, के उप-अभियंता, ए.डी.ई.ओ. एवं ए.जी.पी.ओ. के द्वारा समय-समय पर किया जाता है।
3	मुंगेली	कण्डिका 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में जिले से किसी भी फर्म/व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री की गुणवत्ता की जांच हेतु जनपद स्तर से (सहायक विकास विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड समन्वयक, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी) समिति गठित कर की गई है।

परिशिष्ट "चौदह"

[प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2849) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के युवाओं को वर्ष 2018-19 में शासकीय सेवाओं में प्राथमिकता

क्र.	खिलाड़ी का नाम	विभाग का नाम	पद	नियुक्ति दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्रीनु रेड्डी	जहासंसाधन विभाग	अमीन	04.04.2018
2	कुमारी इन्दु निषाद	महिला एवं बाल विकास विभाग	पर्यवेक्षक	29.08.2018
3	कुमारी कविता साहू	महिला एवं बाल विकास विभाग	पर्यवेक्षक	29.08.2018
4	कुमारी रेणु छत्रपाल	महिला एवं बाल विकास विभाग	पर्यवेक्षक	29.08.2018
5	श्री लक्ष्मीनारायण राव	वन विभाग	वनरक्षक	10.01.2018
6	कुमारी मजू	वन विभाग	सहायक ग्रेड-3	06.02.2018
7	श्री राजीव कुमार सिंह	वन विभाग	वनरक्षक	10.05.2018
8	सुश्री सुरभि मोदी	वन विभाग	वनरक्षक	10.05.2018
9	आकांक्षा भोई	वन विभाग	वनरक्षक	10.05.2018
10	श्री युधिष्ठिर कुमार साहू	वन विभाग	वनरक्षक	10.05.2018
11	श्री आदित्य जैन	वन विभाग	वनरक्षक	10.05.2018
12	सुश्री दीक्षा चौधरी	वन विभाग	वनरक्षक	10.05.2018
13	कु. निशा बिसाई	वन विभाग	वनरक्षक	28.12.2018
14	श्रीमती विभूति ठाकुर	वन विभाग	सहायक ग्रेड-3	04.01.2019

प्रपत्र "ब"

वर्तमान में युवाओं को खेल के क्षेत्र में दी जा रही प्राथमिकता :-

01. खेल अकादमी एवं खेल उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है, जिसमें खिलाड़ियों को आवासीय एवं गैर-आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था समाहित है।
02. खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में प्राथमिकता देने हेतु "छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति करने की नीति 2007" तथा "छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम 2010" प्रभावशील है। इस नियम अंतर्गत राज्य शासन द्वारा घोषित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा प्रदान करने का प्रावधान है।
03. खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को "पुरस्कार नियम 2007" के तहत विभिन्न प्रकार के अलंकरण/पुरस्कार (शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, शहीद विनोद चौबे सम्मान, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान) तथा " प्रोत्साहन नियम 2005" के तहत खेल वृत्ति (डाईटमनी), नगद राशि पुरस्कार एवं सम्माननिधि दिए जाने का प्रावधान है।
04. "विभागीय सहायता एवं आर्थिक सहायता नियम 2018" के तहत खेल संघों को खेल गतिविधियों हेतु नियमानुसार आर्थिक सहायता/अनुदान प्रदान किये जाते हैं।
05. स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग. शासन द्वारा वर्तमान में स्कूली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक- 21000/-, रजत पदक -15000/- एवं कांस्य पदक -10000/- की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
06. एथलेटिक्स एवं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 5000/-, 3000/-, एवं 2000/- का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।
07. राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता में पदक (स्वर्ण/रजत/कांस्य) प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को बोर्ड परीक्षाओं (छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल) में बोनस अंक राज्य स्तर पर 10 अंक राष्ट्रीय स्तर पर 15 अंक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 अंक प्रदान किया जाता है।
उपरोक्त सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

परिशिष्ट "पन्द्रह"

[प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2855) के भाग (क) की जानकारी]

स. क्र.	आइटम कोड	आइटम का नाम	कंपनी का नाम	क्रय दिनांक	यूनिट	दर प्रति यूनिट	क्रय मात्रा
1	LABC30	वायरल आर एन ए एक्सट्रैक्शन किट्स	जेनेटिक्स बायोटेक एशिया प्राइवेट लिमिटेड	24-08-2020	96	50783.5	400
2	LABC30	वायरल आर एन ए एक्सट्रैक्शन किट्स	जेनेटिक्स बायोटेक एशिया प्राइवेट लिमिटेड	16-09-2020	96	50783.5	600
3	LABC30	वायरल आर एन ए एक्सट्रैक्शन किट्स	जेनेटिक्स बायोटेक एशिया प्राइवेट लिमिटेड	08-10-2020	96	50783.5	1000
4	LABC30	वायरल आर एन ए एक्सट्रैक्शन किट्स	जेनेटिक्स बायोटेक एशिया प्राइवेट लिमिटेड	10-10-2020	96	50783.5	2000
5	RNAM	आर एन ए एक्सट्रैक्शन फॉर कोविड-19 (मेनुअल)	पारसनाथ एंड कंपनी	01-02-2021	1	32.48	250000
6	RNAM	आर एन ए एक्सट्रैक्शन फॉर कोविड-19 (मेनुअल)	साईकपा इंटरप्राइजेज	01-02-2021	1	32.48	250000

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त संशोधन/वक्तव्य तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्र

क्रमांक	दिनांक	प्रश्न संख्या (क्रमांक)	विभाग का नाम	संशोधन / वक्तव्य / पृथक वितरित / पुनरीक्षित उत्तर
1	23.02.21	ता. 2 (क्र-157)	ऊर्जा	संशोधन
2	23.02.21	ता. 3 (क्र-459)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संशोधन
3	23.02.21	अता. 48(क्र-505)	ऊर्जा	संशोधन
4	दिनांक 23 फरवरी, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
5	24.02.21	ता. 21(क्र-426)	चिकित्सा शिक्षा	संशोधन
6	दिनांक 24 फरवरी, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
7	25.02.21	ता. 5(क्र-834)	खाद्य	संशोधन
8	दिनांक 25 फरवरी, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
9	26.02.21	ता. 1(क्र-517)	जल संसाधन	संशोधन
10	26.02.21	ता. 6(क्र-26)	जल संसाधन	संशोधन
11	दिनांक 26 फरवरी, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
12	01.03.21	ता. 3(क्र-549)	स्कूल शिक्षा	संशोधन
13	दिनांक 01 मार्च, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
14	दिनांक 02 मार्च, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
15	03.03.21	ता. 2(क्र-1372)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार	संशोधन
16	03.03.21	ता. 3(क्र-854)	वाणिज्यिक कर	संशोधन
17	03.03.21	ता. 11(क्र-1362)	उच्च शिक्षा	संशोधन
18	03.03.21	ता. 17(क्र-896)	वाणिज्यिक कर	संशोधन
19	दिनांक 03 मार्च, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
20	04.03.21	ता. 4(क्र-1342)	गृह	संशोधन
21	04.03.21	ता. 5(क्र-608)	श्रम	संशोधन
22	04.03.21	ता. 7(क्र-977)	खाद्य	संशोधन
23	04.03.21	ता. 9(क्र-1440)	खाद्य	संशोधन
24	04.03.21	ता. 17(क्र-1469)	नगरीय प्रशासन	संशोधन
25	दिनांक 04 मार्च, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
26	05.03.21	ता. 1(क्र-945)	कृषि	संशोधन
27	दिनांक 05 मार्च, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
28	08.03.21	ता. 4(क्र-1528)	सहकारिता	संशोधन
29	दिनांक 08 मार्च, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
30	दिनांक 09 मार्च, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
31	10.03.21	परि. अता. 22(क्र-1859)	वाणिज्यिक कर	संशोधन

प्रश्न में संशोधन पढ़ने का प्रारूप


माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 23.02.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 01 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-2 (क्रमांक-157) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर में, "प्रश्नाधीन अवधि में सरायपाली विकासखण्ड से 589 कृषकों एवं 107 अन्य उपभोक्ताओं से कुल 696 आवेदन एवं बसना विकासखण्ड के 811 कृषकों एवं 77 अन्य उपभोक्ताओं से कुल 888 आवेदन अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त हुआ था। इनमें से सरायपाली विकासखण्ड के 579 कृषकों को तथा 98 अन्य उपभोक्ताओं कुल 677 को अस्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया है। बसना विकासखण्ड के सभी 811 आवेदकों को अस्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया है।"

के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे:-

"प्रश्नाधीन अवधि में सरायपाली विकासखण्ड से 589 कृषकों एवं 107 अन्य उपभोक्ताओं से कुल 696 आवेदन एवं बसना विकासखण्ड के 811 कृषकों एवं 77 अन्य उपभोक्ताओं से कुल 888 आवेदन अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त हुआ था। इनमें से सरायपाली विकासखण्ड के 579 कृषकों को तथा 98 अन्य उपभोक्ताओं कुल 677 को अस्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया है। बसना विकासखण्ड के सभी 888 आवेदकों को अस्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया है।"


(भूपेश बघेल)


मुख्यमंत्री एवं भारसाधक मंत्री (ऊर्जा)
छत्तीसगढ़ शासन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 23.02.2021 को प्रश्नोत्तरी सूची के पृष्ठ क्रमांक 01 में
मुद्रित तारांकित/परि./अतारंकित/अतारोंकित प्रश्न संख्या 03
(क्रमांक 459) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "क" में कॉलम क्रमांक 3 के
स्थान पर कॉलम क्रमांक 4 पढ़ा जावे।

शेष जानकारी यथावत पढ़ा जावे।



(गुरु रूद्र कुमार)

मंत्री,

छत्तीसगढ़ शासन,

लोक स्या.यां.एवं प्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, राबपुर

प्रश्न में संशोधन पढ़ने का प्रारूप


माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 23.02.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 40 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या-48 (क्रमांक-505) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'क' में "जिला बस्तर के विकासखण्ड लोहांडीगुडा स्थित कन्या आश्रम सुलेगा में बिजली की व्यवस्था नहीं है।"

के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे:-

"जिला बस्तर में 495 शासकीय प्राथमिक, 69 पूर्व माध्यमिक शाला एवं 01 आश्रम में बिजली की व्यवस्था नहीं है।"



(भूपेश बघेल)
मुख्यमंत्री एवं भारसाधक मंत्री (ऊजा)
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 2 (क्र. 157) प्रश्न	उपभोक्ताओं में अस्थायी	उपभोक्ताओं ने अस्थायी
ता.प्र.सं. 3 (क्र. 459) उत्तर (क)	शुद्ध पेयजल हेतु	शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु
ता.प्र.सं. 4 (क्र. 494) प्रश्न	18 दिसम्बर से 30-01-2021 तक	18 दिसम्बर, 2018 से 30-01-2021 तक
ता.प्र.सं. 7 (क्र. 320) प्रश्न	कितनी राशि कितने कार्य के	कितनी कितनी राशि कितने कार्य के
ता.प्र.सं. 9 (क्र. 482) प्रश्न (ख)	विधायक बिन्द्रनवागढ़ के द्वारा	विधायक बिन्द्रानवागढ़ के द्वारा
ता.प्र.सं. 9 (क्र. 482) उत्तर (ख)	विधायक बिन्द्रावागढ़ द्वारा	विधायक बिन्द्रानवागढ़ द्वारा
ता.प्र.सं. 13 (क्र. 262) उत्तर (ग)	प्राप्त आवेदन पर	प्राप्त आवेदनों पर
ता.प्र.सं. 14 (क्र. 478) प्रश्न (ग)	वृक्ष किन-किन प्रजाति के थे?	वृक्ष किस-किस प्रजाति के थे?
ता.प्र.सं. 14 (क्र. 478) प्रश्न (ग)	विभाग में अवैध कटाई	विभाग ने अवैध कटाई
ता.प्र.सं. 15 (क्र. 79) प्रश्न (ग)	सीमांकन 2018 में मई, 2019	सीमांकन 2018 से मई, 2019
ता.प्र.सं. 16 (क्र. 153) प्रश्न (ख)	प्रश्न "क" के संबंध में	प्रश्न "क" के संदर्भ में
ता.प्र.सं. 25 (क्र. 490) प्रश्न (ग)	कितनी मात्रा धागा प्रदाय	कितनी मात्रा में धागा प्रदाय
ता.प्र.सं. 25 (क्र. 490) उत्तर (ग)	वर्ष 2019-20	वर्ष 2018-19

नियम (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर

परि.अता.प्र.सं. 25 (क्र. 483) उत्तर (क)	नियम, 2019 के प्ररूप-एक	नियम, 2019 के प्रारूप-एक
परि.अता.प्र.सं. 28 (क्र. 500) प्रश्न	परिक्षेत्र में चौन लिंक फेंसिंग	परिक्षेत्र में चैन लिंक फेंसिंग

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अता.प्र.सं. 27 (क्र. 417) उत्तर (ख)	लगभग राशि रूपये 1.271 करोड़ 84 लाख	लगभग राशि रूपये 1,271 करोड़ 84 लाख
अता.प्र.सं. 41 (क्र. 487). उत्तर (क)	बंद हैण्डपम्पों को को चालू करने	बंद हैण्डपम्पों को चालू करने

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 22 फरवरी, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्न में संशोधन पढ़ने का प्रारूप विधान सभा


मान. अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 24.02.2021 की प्रश्नोंत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक -06- में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्रमांक 426) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (क) "प्रश्नाधीन अवधि में बलौदा बाजार- भाटापारा जिले में 01 जिला कोविड अस्पताल तथा 05 कोविड केयर सेन्टर संचालित है। राज्य से रुपये 268.27 लाख एवं केन्द्र से रुपये 47.66 लाख की राशि प्राप्त हुई। विकास खण्डवार खर्च की जानकारी संलग्न परिशिष्ट दर्शित है।"

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

(क) "प्रश्नाधीन अवधि में बलौदा बाजार- भाटापारा जिले में 01 जिला कोविड अस्पताल तथा 05 कोविड केयर सेन्टर संचालित है। राज्य से रुपये 267.77 लाख एवं केन्द्र से रुपये 47.66 लाख की राशि प्राप्त हुई। विकास खण्डवार खर्च की जानकारी संलग्न परिशिष्ट दर्शित है।"


(टी.एस.सिंहदेव)
(टी.एस.सिंहदेव)
मंत्री

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 10 (क्र. 614) प्रश्न	संचालित का नाम	संचालित उद्योगों का नाम
ता.प्र.सं. 11 (क्र. 515) प्रश्न (क)	2018-19 से 31-01-2012 तक	2018-19 से 31-01-2021 तक
ता.प्र.सं. 13 (क्र. 321) शीर्षक	महिला सहायता समूह	महिला स्व सहायता समूह

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 23 फरवरी, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 25.02.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 02 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्रमांक 834) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "ख" में जानकारी प्रपत्र "ब" में खरीफ वर्ष 2019-20 में " जमा करने योग्य अनुपातिक चावल " के अंतर्गत प्रविष्टि " 101710 "

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

"102308"

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम

(मा. मंत्री)
(अमरजीत भगत)
मंत्री,

छ.ग.शासन,
खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण
योजना आर्थिक, सांख्यिकी एवं
संस्कृति विभाग,

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 2 (क्र. 293) प्रश्न (ख)	31-01-2021 की कि स्थिति में	31-01-2021 की स्थिति में
ता.प्र.सं. 4 (क्र. 787) उत्तर (घ)	कारण में ठेकेदार दोषी	कारण से ठेकेदार दोषी
ता.प्र.सं. 20 (क्र. 890) उत्तर (ग)	केनाल लिंग रोड	केनाल लिंक रोड
ता.प्र.सं. 22 (क्र. 506) प्रश्न (क)	प्रश्नावधि तक खाद्यान्न सामग्री	प्रश्नावधि तक खाद्यान्न सामग्री
ता.प्र.सं. 23 (क्र. 671) प्रश्न (क)	2020 में दिनांक 31 जनवरी, 2021	2020 से दिनांक 31 जनवरी, 2021

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

अता.प्र.सं. 54 (क्र. 893) के उत्तर से संबंधित पृ.क्र. A-177 में मुद्रित तालिका के शीर्षक में 'परिशिष्ट "तिहत्तर" [अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्रमांक 893) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]' प्रतिस्थापित कर पढ़ा जावे ।

पृ.क्र. A-179 में मुद्रित तालिका के शीर्षक में अंकित 'परिशिष्ट "तिहत्तर" [अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्रमांक 893) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]' विलोपित कर पढ़ा जावे ।

दिनांक 25 फरवरी, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-13 (क्रमांक-786) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे ।

दिनांक 25 फरवरी, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-16 (क्रमांक-695) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे ।

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर

दिनांक : 25 फरवरी, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा


प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 26.02.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्र.01.....
में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या01.....(क्रमांक517.....)
में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची के मुद्रित उत्तर के भाग ^{के पुस्तकालय में रख} प्रपत्र...अ.....में सोंदूर जलाशय परियोजना के डूब से प्रभावित निजी भूमि/राजस्व भूमि का विवरण (प्रपत्र...अ) में निजी भूमि के सरल क्र. 2 ग्राम-बरपदर में उल्लेखित मुआवजा राशि रु. 6,15,834.23 एवं सरल क्र. 3 ग्राम-बोईरगांव में उल्लेखित मुआवजा राशि रु. 7,70,086.60 एवं मुआवजा राशि योग रु. 22,10,590.16 के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

सोंदूर जलाशय परियोजना के डूब से प्रभावित निजी भूमि/राजस्व भूमि का विवरण (प्रपत्र...अ) में निजी भूमि के सरल क्र. 2 ग्राम-बरपदर में उल्लेखित मुआवजा राशि रु. 6,18,275.68 एवं सरल क्र. 3 ग्राम-बोईरगांव में उल्लेखित मुआवजा राशि रु. 7,76,819.85 एवं मुआवजा राशि योग रु. 22,19,764.86 पढ़ा जावे।



हस्ताक्षर एवं पदनाम
(मा.मंत्री)

रविन्द्र चौबे
मंत्री,

संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण,
क्षेत्र प्रौद्योगिकी, पशु पालन, मछली पालन,
जल संसाधन एवं आयातक. छत्तीसगढ़ शासन

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 26 फरवरी 2021 की प्रश्नोत्तरी सूची के पृष्ठ क्रमांक 02 में मुद्रित सरल क्रमांक-06 तारांकित प्रश्न क्रमांक 26 में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहती हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "क" में प्रश्नाधीन अवधि में विभाग की ओर से 62 एन0जी0ओ0 को विभाग का काम दिया गया है। प्रश्नांश "ख" इन एन0जी0ओ0 को कुल राशि रूपये 421570111 (अक्षरी रूपये ब्यालीस करोड़ पन्द्रह लाख सत्तर हजार एक सौ ग्यारह रूपये मात्र) का भुगतान किया गया है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

"क" में 62 के स्थान पर 61 एन0जी0ओ0 एवं "ख" में राशि रूपये 421570111 (अक्षरी रूपये ब्यालीस करोड़ पन्द्रह लाख सत्तर हजार एक सौ ग्यारह रूपये मात्र) के स्थान पर राशि रूपये 422010111 (अक्षरी रूपये ब्यालीस करोड़ बीस लाख दस हजार एक सौ ग्यारह रूपये मात्र) पढ़ा जावे । प्रश्नांश "ग" में अंकित परिशिष्ट-"तीन" पृष्ठ क्रमांक A-4 में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :-

सरल क्रमांक-10 के समक्ष अंकित कॉलम क्रमांक-03 में दर्शित राशि 38081 के स्थान पर 527457 एवं कॉलम क्रमांक-04 में दर्शित राशि 270349 के स्थान पर 2015749 तथा सरल क्रमांक 32 के समक्ष कॉलम क्रमांक-03 में दर्शित राशि 7085591 के स्थान पर राशि 7445591 एवं कॉलम क्रमांक-04 में दर्शित राशि 17934841 के स्थान पर राशि 18014841 पढ़ा जावे। उक्त जानकारी के सरल क्रमांक 55 को विलोपित पढ़ा जावे ।

शेष मुद्रित जानकारी यथावत पढ़ी जावे ।

(श्रीमती अनिला भेंड़िया)

मंत्री,

महिला एवं बाल विकास विभाग

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
---------------------------	--------	-------

तारांकित प्रश्नोत्तर

ता.प्र.सं. 10 (क्र. 876) प्रश्न (क)	कब तक की जावेगी	कब तक दी जावेगी
ता.प्र.सं. 10 (क्र. 876) उत्तर	श्रीमती अनिलीा भेंड़िया	श्रीमती अनिला भेंड़िया
ता.प्र.सं. 18 (क्र. 568) शीर्षक	रेडी टू ईट फूड की संचालन	रेडी टू ईट फूड का संचालन
ता.प्र.सं. 25 (क्र. 85) उत्तर (ख)	प्रश्नांश "अ" के परिप्रेक्ष्य में	प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर

परि.अता.प्र.सं. 14 (क्र. 647) उत्तर (क)	वर्मी कम्पोस्ट बनाने हेतु 8.050	वर्मी कम्पोस्ट बनाने हेतु 8,050
---	---------------------------------	---------------------------------

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अता.प्र.सं. 17 (क्र. 691)	श्री कृष्णमूर्ति बांधी	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
---------------------------	------------------------	-----------------------

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

ता.प्र.सं. 12 (क्र. 168) परिशिष्ट "छ:" / पृ.क्र. A-13 / प्रपत्र "अ" / शीर्षक	तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 168) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी	तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 168) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी
--	---	---

दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-3 (क्रमांक-547), तारांकित प्रश्न संख्या-16 (क्रमांक-942) तथा परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-22 (क्रमांक-771) का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधान सभा भवन,

रायपुर

दिनांक : 25 फरवरी, 2021


चन्द्र शेखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्न के उत्तर में संशोधन

आज दिनांक 01 मार्च 2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ 02 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या - 3 (क्रमांक 549) के उत्तर के भाग 'क' से संबंधित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' के स्थान पर संलग्न परिशिष्ट 'स' को पढ़ा जाय।



(डॉ. प्रेमराज सिंह टंकाण)

मंत्री

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति शिक्षा
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक शिक्षा
स्कूल शिक्षा तथा सशक्तिकरण
छत्तीसगढ़ शासन

परिशिष्ट स
तारांकित प्रश्न क्रमांक -549
विगत पांच वर्षों के भुगतान की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
1	टैली	2893802	2833833	3996920	4087002	3629810
2	आडिट	2033890	2095208	1949720	2035674	0



संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संचालनाय

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 01 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 15 (क्र. 931) उत्तर (क) में अंकित तालिका के स्तंभ 5 के शीर्षक	वर्ष 2020- 1 (दिसम्बर 2020 तक)	वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)
ता.प्र.सं. 19 (क्र. 1166) प्रश्न (ख)	2017-18 से 3-02-21 राजनांदगांव जिले में	2017-18 से 3-02-21 तक राजनांदगांव जिले में
अतारांकित प्रश्नोत्तर		
अता.प्र.सं. 25 (क्र. 694)	श्री कृष्णमूर्ति बांधी	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पृ.क्र. A-8 में मुद्रित तालिका के शीर्षक में अंकित 'परिशिष्ट-अ' को विलोपित कर पढ़ा जावे ।

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर

दिनांक : 28 फरवरी, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 02 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 1 (क्र. 837) उत्तर (ग)	प्रति उड़ान घण्टे स्वीकृत दर	प्रति उड़ान घण्टे स्वीकृत किराया दर
ता.प्र.सं. 7 (क्र. 1292) उत्तर (ख)	कैम्पा योजना के अंतर्गत	कैम्पा योजना के अंतर्गत
ता.प्र.सं. 14 (क्र. 1221) प्रश्न (क)	अन्वेषण ब्यूरो में	अन्वेषण ब्यूरो में
ता.प्र.सं. 24 (क्र. 520) प्रश्न (क)	2019-20 में 2020-21 में कितनी	2019-20 व 2020-21 में कितनी
ता.प्र.सं. 24 (क्र. 520) उत्तर (ख)	आकाशवानी केन्द्र	आकाशवाणी केन्द्र
ता.प्र.सं. 24 (क्र. 520) उत्तर (ख)	वनप्राणियों से सुरक्षा	वन्यप्राणियों से सुरक्षा

दिनांक 02 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-25 (क्रमांक-172) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 01 मार्च, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्न में संशोधन पढ़ने का प्रारूप विधान सभा

४४
६९

मान. अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 03.03.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 01 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 1372) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग :-

(क) छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल में वर्षवार पंजीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त पंजीकृत छात्र-छात्राओं की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

(ख) "कंडिका (क) के अनुबंधित 497 छात्र-छात्राओं के लिए नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। जिसके पालन में 148 चिकित्सकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है।"

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर प्रतिस्थापित कर पढ़ा जावे :-

(क) छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल में वर्षवार पंजीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त पंजीकृत छात्र-छात्राओं की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	स्नातक (एम.बी.बी.एस.)	स्नातकोत्तर (पी.जी.)
1	2016	234	76
4	2017	357	69
3	2018	341	50
4	2019	588	66

(ख) "कंडिका (क) के अनुबंधित 563 छात्र-छात्राओं के लिए नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। जिसके पालन में 231 चिकित्सकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है।"

प्रश्नांश भाग (ग) का उत्तर दिनांक 03.03.2021 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी अनुसार यथावत पढ़ा जावे ।

(टी.एस.सिंहदेव)

मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(टी. एस. सिंहदेव)

मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा

बीस सूत्रीय कार्ययोजना, प्राथमिक कर (पी.एल.टी.)

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप


माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 03.03.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक०।..... में मुद्रित मस्बिर्तित तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 854) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ख) में अंकित इन दोनों मदों की राशि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत गठित मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर व्यय किया जाना है, जिसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग को द्वितीय अनुपूरक में रू. 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

के स्थान पर

(ख) इन दोनों मदों की राशि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत गठित मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर व्यय किया जाना है, जिसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग को प्रथम अनुपूरक में रू. 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।



हस्ताक्षर एवं पदनाम

(माननीय मंत्री)

(कवासी लखमा)

मंत्री

वाणिज्यिक कर (आबकारी)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

माननीय अध्यक्ष महोदय,


आज दिनांक 03.03.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 03 एवं 04 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 1362) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ग) एवं (घ) में

- (ग) "जी नहीं, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है", एवं
 (घ) "जी हां, सामग्री खरीदी हेतु क्रय नियम का पालन किया गया है। गुणवत्ता विहीन सामग्री नहीं खरीदी गई है।"

के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

- (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में उल्लेखित शासकीय महाविद्यालयों में से शासकीय महाविद्यालय, मालखरौदा एवं शासकीय महाविद्यालय, खरौद के संबंध में खरीदी की शिकायत प्राप्त हुई है, जांच प्रक्रियाधीन है।
 (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित महाविद्यालयों के संबंध में प्राप्त शिकायत जांचाधीन है। जांच प्रतिवेदन के तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।



(उमेश पटेल)

मंत्री

उच्च शिक्षा विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 03.03.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ...०५..... में मुद्रित ~~परिवर्तित~~ तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 896) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ख) में अंकित जिला जांजगीर चाम्पा में अवैध शराब विक्रय पर नियंत्रण हेतु जिला अमला एवं राज्य स्तरीय तथा संभागीय उड़नदस्ता दल के द्वारा निरंतर गश्त एवं उपलंभन कार्य किया जाता है। वर्ष 2020-21 में माह जनवरी 2021 तक आबकारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 1519 प्रकरण कायम कर 8389 लीटर शराब जप्त की गई है।

के स्थान पर

(ख) जिला जांजगीर चाम्पा में अवैध शराब विक्रय पर नियंत्रण हेतु जिला अमला एवं राज्य स्तरीय तथा संभागीय उड़नदस्ता दल के द्वारा निरंतर गश्त एवं उपलंभन कार्य किया जाता है।



हस्ताक्षर एवं पदनाम

(माननीय मंत्री)

(कवासी स्वयम्भा)

मंत्री

वाणिज्यिक कर (आबकारी);

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 03 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 1 (क्र. 18) प्रश्न (ख)	अपराधिक कार्यवाही की गई	अपराधिक कार्यवाही भी की गई
ता.प्र.सं. 3 (क्र. 854) प्रश्न (क)	राजपत्र वाणिज्य कर	राजपत्र वाणिज्य कर
ता.प्र.सं. 6 (क्र. 1412) शीर्षक	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री	प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री
ता.प्र.सं. 8 (क्र. 521) उत्तर (ख)	जन आयोग्य योजना	जन आरोग्य योजना
ता.प्र.सं. 12 (क्र. 1368) प्रश्न (क)	जिलेवार बतायें एवं	जिलेवार बतावें एवं
ता.प्र.सं. 12 (क्र. 1368) उत्तर (क)	छात्रों में प्रदेश के	छात्रों ने प्रदेश के
ता.प्र.सं. 14 (क्र. 1340) प्रश्न (ख)	यदि हा, तो किस	यदि हां, तो किस
ता.प्र.सं. 14 (क्र. 1340) उत्तर (क)	संग्रहण एजेसी के	संग्रहण एजेंसी के
ता.प्र.सं. 14 (क्र. 1340) उत्तर (क)	स्टेट स्टेट मार्केटिंग	स्टेट मार्केटिंग
ता.प्र.सं. 17 (क्र. 896) प्रश्न (क)	शराब बिक्री को कितनी	शराब बिक्री की कितनी
ता.प्र.सं. 20 (क्र. 1349) प्रश्न (ख)	इस संबंध में	इस संबंध में

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

ता.प्र.सं. 16 (क्र. 1054) / परिशिष्ट "ग्यारह" / पृष्ठ क्रमांक A- 28 / पंक्ति-योग / स्तंभ-मूल्यांकन राशि (रु. लाख में)	06	170106
--	----	--------

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 02 मार्च, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,


आज दिनांक 04/03/2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 02 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्रमांक 1342) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर से संबंधित परिशिष्ट "अ" के सरल क्रमांक 01 से संबंधित स्तंभ 06 में अंकित "-----1.75 एकड़ हैक्टेयर -----"

के स्थान पर

"-----1.75 एकड़ है,-----" संशोधित कर पढ़ा जावे।

शेष यथावत।


(ताम्रध्वज साहू)
मंत्री, गृह

संशोधन पढ़ने का प्रारूप

आज दिनांक **04.03.2021** को प्रश्नोत्तरी के पृष्ठ क्रमांक...02...में उल्लेखित सरल क्रमांक/प्रश्न संख्या-...05.....(सरल प्रश्न क्रमांक-608) में निम्नानुसार संशोधन करता हूँ :-

(घ) उक्त योजनाओं का लाभ कितने श्रमिकों को दिया गया ?

विकासखण्ड-वार जानकारी देवें ?

उपरोक्त प्रश्नांश के उत्तर हेतु संलग्न ^{प्रश्न} परिशिष्ट-“ब” के स्थान पर संलग्न संशोधित ^{प्रश्न} परिशिष्ट-“ब” को मान्य कर पढ़ा जावे।



(डॉ.शिवकुमार डहरिया)

मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन,श्रम विभाग

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 608 द्वारा माननीय श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य विधानसभा।

बीजापुर जिले में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं में मंडल गठन से दिनांक 31.12.2020 तक लाभान्वित निर्माण श्रमिकों की जानकारी।

क0	योजना का नाम	विकासखण्डवार लाभान्वित श्रमिक संख्या				
		उसूर	भोपालपटनम	भैरमगढ	बीजापुर	योग
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	262	481	564	993	2300
2	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	0	0	0	113	113
3	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	255	376	313	719	1663
4	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	54	493	298	655	1500
5	नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना	112	430	146	752	1440
6	मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	8	11	12	22	53
7	भगिनि प्रसूति सहायता योजना	9	57	24	73	163
8	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	89	84	63	83	319
9	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	88	83	58	85	314
10	निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना	5	0	20	9	34
11	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	0	94	30	79	203
12	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना	1	4	3	1	9
13	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	289	402	469	529	1689
योग		1172	2515	2000	4113	9800

(डॉ०शिवकुमार डहरिया)
मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय,


आज दिनांक 04.03.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 3 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 7 (*क्रमांक 977) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग A-9 परिशिष्ट-“पाँच” के कॉलम खरीफ वर्ष 2020-21 में खरीदे गये धान की मात्रा की सरल क्रमांक 1 से 5 की प्रविष्टि में “20295”, “25788”, “29941”, “32047”, “35392”

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

क्रमशः- “25788”, “35392”, “32047”, “20295”, “29941”

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।



हस्ताक्षर एवं पदनाम

(सु. संजीव)

मंत्री,

छ.ग.शासन,

ग्राम नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण
योजना आर्थिक, सांख्यिकी एवं
संस्कृति विभाग,

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 04.03.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 3 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 9 (*क्रमांक 1440) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (क) में "प्रासंगिक" व्यय 09.00 रुपये प्रति किंवदंतल,"

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

"प्रासंगिक व्यय की राशि का निर्धारण भारत सरकार के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय समिति के द्वारा प्रचलित कार्यवाही अनुसार होने"

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम

(अमलीकृष्णा)
मन्त्री,

छ.ग.शासन,

खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण
योजना आर्थिक, सांख्यिकी एवं
संस्कृति विभाग,

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 04.03.2021 को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 05 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 1469) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग ख में

- (ख) उक्त दोनों नगरों में निर्माण एजेंसी मेसर्स मल्टी अरबन एन्क्रा सर्विसेस प्रा. लिमि. नागपुर के द्वारा जल आवर्धन योजना का कार्य किया जा रहा है। जाजगीर नैला नगर पालिका में कार्य प्रारंभ करने की तिथि 27.01.2018 व कार्य पूर्णता की तिथि 04.10.2022 है तथा अकलतरा नगर पालिका में कार्य प्रारंभ करने की तिथि 14.06.2019 व कार्य पूर्णता की तिथि 14.06.2021 है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

- (ख) उक्त दोनों नगरों में निर्माण एजेंसी मेसर्स मल्टी अरबन एन्क्रा सर्विसेस प्रा. लिमि. नागपुर के द्वारा जल आवर्धन योजना का कार्य किया जा रहा है। जाजगीर नैला नगर पालिका में कार्य प्रारंभ करने की तिथि 05.10.2018 व कार्य पूर्णता की तिथि 04.10.2022 है तथा अकलतरा नगर पालिका में कार्य प्रारंभ करने की तिथि 14.06.2019 व कार्य पूर्णता की तिथि 14.06.2021 है।

भारसाधक सदस्य



(डॉ. शिवकुमार डहरिया)
मंत्री

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

गुरुवार, दिनांक 04 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 11 (क्र. 1493) शीर्षक	मिट्टी तेल कैरोसिन का	मिट्टी तेल कैरोसिन का
ता.प्र.सं. 17 (क्र. 1469) शीर्षक	जांजगीर-चांपा एवं अकलतरा	जांजगीर-नैला एवं अकलतरा
ता.प्र.सं. 23 (क्र. 1549) प्रश्न (क)	कितनी घटनाएँ हुई हैं?	कितनी घटनाएँ हुई हैं?
ता.प्र.सं. 23 (क्र. 1549) उत्तर (ख)	घटनाओं में भातर में	घटनाओं में भारत में
अतारांकित प्रश्नोत्तर		
अता.प्र.सं. 45 (क्र. 1553) उत्तर (क)	566 श्रमिकों का अनुबंध किया	766 श्रमिकों का अनुबंध किया

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

ता.प्र.सं. 11 (क्र. 1493)/परिशिष्ट "सात"/पृष्ठ क्रमांक A-11/शीर्षक	माह 2018-19 से अब तक कैरोसीन आबंटन (प्रपत्र अ)	माह 2018-19 से अब तक कैरोसीन आबंटन
ता.प्र.सं. 16 (क्र. 1211)/परिशिष्ट "दस"/पृष्ठ क्रमांक A-18/शीर्षक		बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा
ता.प्र.सं. 19 (क्र. 1565)/परिशिष्ट "ग्यारह"/पृष्ठ क्रमांक A-19/शीर्षक		नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 03 मार्च, 2021


चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 05.03.2021 को प्रश्नोंत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक01..... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्रमांक 945) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

में अंकित 24080 के स्थान पर "5719" तथा प्रश्न प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'ख' से संबंधित प्रपत्र-ब में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में जनवरी 2021 तक योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता की जानकारी में अंकित शून्य के स्थान पर कृपया संलग्न पुनरीक्षित प्रपत्र-ब में अंकित वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता की जानकारी को पढ़ा जावे।



हस्ताक्षर एवं पदनाम
(मा. मंत्री)


विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 945


पुनरीक्षित प्रपत्र-ब


वर्ष 2016-17 में योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता की जानकारी

स.क्र.	संभाग का नाम	योजना का नाम	खरीफ	रबी	योग
1	जल संसाधन संभाग, जशपुर	बलजोरा तालाब	200	0	200
2		छतौरी व्यपवर्तन	50	50	100
3		घरजियाबंधान तालाब	900	164	1064
4		हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन	0	300	300
5		खमगड़ा तालाब	100	0	100
6		कुसुमताल एनीकट	75	0	75
7		लोवर डोडकी व्यपवर्तन	100	200	300
8		मैना लरंगा व्यपवर्तन	120	40	160
9		मैनी एनीकट/व्यपवर्तन	300	200	500
10		मुस्कूटी व्यपवर्तन	0	50	50
11		फुटहामुड़ा व्यपवर्तन	200	60	260
12		पोंगरो एनीकट	142	0	142
13		रतिया व्यपवर्तन	0	50	50
14		सिरिमकेला एनीकट	148	0	148
योग-			2335	1114	3449
वर्ष 2017-18 में योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता की जानकारी					
1	जल संसाधन संभाग, जशपुर	बलजोरा तालाब	0	71	71
2		बेलसुंगा तालाब	100	0	100
3		खरकड़ा तालाब	100	0	100
4		मैनी एनीकट/व्यपवर्तन	200	0	200
5		साहीडांड एनीकट	160	0	160
योग-			560	71	631
वर्ष 2018-19 में योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता की जानकारी					
1	जल संसाधन संभाग, जशपुर	निरंक			

स.क्र.	संभाग का नाम	योजना का नाम	खरीफ	रबी	योग
वर्ष 2019-20 में योजनाओं से सुजित सिंचाई क्षमता की जानकारी					
1	जल संसाधन संभाग, जशपुर	निरंक			
वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक योजनाओं से सुजित सिंचाई क्षमता की जानकारी					
1	जल संसाधन संभाग, जशपुर	रतिया व्यपवर्तन	100	50	150
2		गेरानाला तालाब	150	0	150
3		कुदमुरा व्यपवर्तन योजना	200	50	250
4		खरकट्टा तालाब	50	10	60
5		पीठाआमा तालाब	144	0	144
6		मैनी एनीकट	100	0	100
7		समदमा एनीकट	785	0	785
योग-			1529	110	1639
कुलयोग-			4424	1295	5719


 मुख्य अभियंता
 हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग,
 अंबिकापुर (छ.ग.)


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 जल संसाधन विभाग,
 मंत्रालय, नया रायपुर


 प्रमुख अभियंता
 जल संसाधन विभाग
 रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 4 (क्र. 1629) उत्तर	वित्त विभाग मे में भेजते समय	वित्त विभाग में भेजते समय
ता.प्र.सं. 14 (क्र. 1181) उत्तर (ख)	मिल समूह का नारा	मिल समूह का नाम
ता.प्र.सं. 15 (क्र. 1494) शीर्षक	विधान सभा क्षेत्र प्रधानमंत्री	विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री
ता.प्र.सं. 20 (क्र. 1550) प्रश्न (क)	गोधन न्याय योजना	गोधन न्याय योजना
ता.प्र.सं. 21 (क्र. 1625) प्रश्न (ख)	कार्यवाही की गइ है?	कार्यवाही की गई है?
ता.प्र.सं. 22 (क्र. 179) उत्तर (ख)/बिन्दु क्र. -5	संचालन किया रहा है.	संचालन किया जा रहा है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

ता.प्र.सं. 18 (क्र. 95)/परिशिष्ट "आठ"/प्रपत्र- "ब"/पृष्ठ क्रमांक A-35/शीर्षक	विभगा द्वारा जिला जांजगीर-चांपा	विभाग द्वारा जिला जांजगीर-चांपा
--	---------------------------------	---------------------------------

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 04 मार्च, 2021

चन्द्र शेखर गंगराडे
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वेस्ट

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,


दिनांक 08.03.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक2..... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-04 (क्रमांक-1528) में, निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (क) की प्रथम पंक्ति में "केन्द्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता है।"

के स्थान पर

"केन्द्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वरन केन्द्र सरकार द्वारा जारी सप्लाई प्लान के आधार पर जूट कमिश्नर कोलकाता के द्वारा नवीन जूट बारदाना उपलब्ध कराया जाता है।"

संशोधित कर पढ़ा जावे।


(डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम)
मंत्री
सहकारिता विभाग

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 1 (क्र. 51) प्रश्न (ख)	पदोन्नत किया है? एवं नहीं तो क्यों?	पदोन्नत किया गया है, एवं नहीं तो क्यों?
ता.प्र.सं. 4 (क्र. 1528) प्रश्न (ख)	प्रश्नांश "क" हेतु बारादाना क्रय	प्रश्नांश "क" हेतु बारदाना क्रय
ता.प्र.सं. 6 (क्र. 1214) प्रश्न (ख)	योजना बनाई गई हा, तो	योजना बनाई गई हो, तो
ता.प्र.सं. 10 (क्र. 1251) शीर्षक	प्रदेश में बाढ़ आपदा प्रबंधन	प्रदेश में बाढ़ राहत आपदा प्रबंधन
ता.प्र.सं. 12 (क्र. 1686) प्रश्न (क)	दशरंगपुर से लेकर अंधियार बोर	दशरंगपुर से लेकर अंधियार खोर

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

अता.प्र.सं. 32 (क्र. 1635)/परिशिष्ट "बत्तीस"/पृष्ठ क्रमांक A-90	अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1635) के भाग (क) की जानकारी	अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 1635) के भाग (क) की जानकारी .
अता.प्र.सं. 37 (क्र. 1644)/परिशिष्ट "तैंतीस"/पृष्ठ क्रमांक A-92	अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1644) के भाग (क) की जानकारी	अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 1644) के भाग (क) की जानकारी

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 07 मार्च, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 09 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 3 (क्र. 1802) प्रश्न (क)	बजट सत्र 2019 को अभिभाषण में	बजट सत्र 2019 के अभिभाषण में
ता.प्र.सं. 9 (क्र. 1830) उत्तर (क)	तिरथगढ़ जलप्रपात	तिरथगढ़ जलप्रपात
ता.प्र.सं. 11 (क्र. 182) उत्तर (ख)	आंधी तुफान एवं बरसात	आंधी तूफान एवं बरसात
ता.प्र.सं. 16 (क्र. 1478) उत्तर (क)	छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन
ता.प्र.सं. 17 (क्र. 1813) उत्तर (ग)	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
ता.प्र.सं. 23 (क्र. 62) प्रश्न (ग)	विपरीत उद्यान भूमि	विपरीत उद्यान भूमि
ता.प्र.सं. 24 (क्र. 1753) उत्तर (ख)	गारंटी अवधि पश्चात्	वारंटी अवधि पश्चात्
अंतारांकित प्रश्नोत्तर		
अता.प्र.सं. 31 (क्र. 1775) उत्तर (क)	10 जनवरी, 2020 से	01 जनवरी, 2020 से

स्थान : विधान सभा भवन,

रायपुर

दिनांक : 08 मार्च, 2021

चन्द्र शंखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक ¹⁰⁻³⁻²⁰²¹ 27.08.2020 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक1.4..... में मुद्रित परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्रमांक 1859) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ख) से संबंधित प्रपत्र "ब" के सरल क्रमांक 26 के स्तंभ 6 एफ.आई.आर. दिनांक में अंकित 03/09/2019 है।

के स्थान पर

03/09/2020 पढ़ा जावे।

लखमा

हस्ताक्षर एवं पदनाम

(माननीय मंत्री)

(कवासी लखमा)

मंत्री

वाणिज्यिक कर (आबकारी)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन